PROCEEDINGS OF THE RAJYA SABHA DATED 12TH DECEMBER, 2019 ON THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 2019

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ravi Shankar Prasad to move a motion for consideration of the Constitution (126th Amendment) Bill, 2019.

(Continued by YSR/2D)

YSR-SCH/2.10/2D

MR. CHAIRMAN (CONTD.): Yesterday, Ravi *ji* was expressing a doubt after that Bill saying, "Sir, why don't you take up this Bill and finish it off?" I told him 'no'. I did not allow it. But he was expressing a doubt whether after such an exhaustive discussion the required number of Members would come tomorrow. It is a Constitution Amendment Bill and for that two-thirds of the Members should be there and then the other condition of 50 per cent and all. I assured him that it is a very sensitive and important Bill, definitely, Members will be there. For the time being, I am happy because there is quorum. But we need to have two-thirds Members. Keep that in mind. Let the leaders also take note of it and see to it that the Members come to the House. Ravi *ji*.

Uncorrected/ Not for Publication-12.12.2019

GOVERNMENT BILL

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 2019

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

माननीय सभापति जी, सबसे पहले थोड़ा संक्षेप में मैं इसकी विषयवस्तु रख दूं, क्योंकि यह बताना बहुत जरूरी है। सर, आज इस बिल के माध्यम से, देश में हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई-बंधु हैं, उनको लोक सभा और विधान सभा में जो आरक्षण मिला हुआ है, उसको 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अपने उत्तर में मैं विस्तार से इसका जिक्र करूंगा।

सर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि वे जानते थे कि बिना सामाजिक न्याय और बिना वंचितों को आगे बढ़ाए यह काम नहीं हो सकता है। इस तरह देश को बदलने का काम हम संविधान के माध्यम से कर रहे हैं। स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया था। सर, भारत के संविधान की धारा 330 में इस बात का प्रावधान है कि there shall be reservation for the Scheduled Castes. It is a positive mandate. Under Article 332, there shall be reservation for the Scheduled Tribes. That is a positive mandate. इस कारण लोक सभा की टोटल सीट्स 543 हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट्स का

प्रावधान है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट्स का प्रावधान है। पूरे देश में जो State Legislative Assemblies हैं, उनमें कुल 4,122 सीट्स हैं, जिनमें से 614 are for the Scheduled Castes and 554 are for the Scheduled Tribes. Under the constitutional provision, this number has to be proportionate to their number in the States.

सर, आर्टिकल 341 के अंतर्गत भारत सरकार ने 'The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950' और 'The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950' निकाला था। इनमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किस-किस प्रदेश में कौन-कौन सी सीट्स पर अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स होंगे और कौन-कौन सी सीट पर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स होंगे, इसलिए उन सीट्स से कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। सर, उसमें यह भी लिखा हुआ है, "in case of the Scheduled Castes, those who are Hindus" और उसमें बाद में 'Sikh and Buddhist' को भी ऐड किया गया। वर्षों से इनके साथ discrimination रहा है।

सर, हमारे देश में कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं और कितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यह चर्चा भी होती रहती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो भारत में 5,13,43,898 अनुसूचित जाति के लोग थे और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 1,91,16,498 थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दस साल में जनगणना होती है, तो 2011 के सेंसस में देश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या

20,13,78,372 और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 10,45,45,716 है। सेंसस सब लोगों की पूरी काउंटिंग करता है।

सर, जैसा मैंने बताया, हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह आरक्षण दिया था, जिसके कारण देश में काफी बदलाव हुआ। सर, मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बहुत विस्तार से पढ़ा है। उनके बारे में मैंने एक बात पहले भी उस सदन में कही थी और आज यहां कहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर Constitution की Drafting Committee के Chairman इसलिए नहीं थे क्योंकि वे एक दलित थे, वे Drafting Committee के Chairman इसलिए थे, क्योंकि उस समय वे भारत के सबसे अधिक जानकार संविधान विशेषज्ञ थे।

(2E/PSV-BHS पर जारी)

-YSR/BHS-PSV/2E/2.15

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (CONTD.): He was the most well-known authority on Constitution. This, we need to understand कि उन्होंने किस तरह से जोड़ा कि सामाजिक न्याय भी जरूरी है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस आरक्षण के माध्यम से देश में बहुत बड़े-बड़े नेता लोग आये, बड़े स्थानों पर सुशोभित रहे। जगजीवन राम जी ने बहुत काम किया। हम उनको जानते हैं। आज हमें इस बात का संतोष है कि आज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी एक वरिष्ठ राजनेता उस समाज से आते हैं और बहुत योग्य काम कर रहे हैं। कई प्रदेशों में बड़े-बड़े नेता हुए हैं। परन्तु एक बात मैंने और देखी है। पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे नेता, जो इन समाजों से

नहीं भी आये, उन्होंने भी बहुत मदद की। मैंने महात्मा गांधी जी की बात की। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा वंचितों के लिए बहुत आवाज़ उठायी थी। मेरा सौभाग्य था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुआई में मैंने जेपी मूवमेंट में काम किया। उन्होंने भी हमें इस बात को सिखाया कि हमेशा इनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए।

सर, मैंने कुछ नेताओं की बात बतायी। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। हमारी पार्टी में यहाँ पर स्वयं माननीय थावरचन्द गहलोत जी हैं, सत्यनारायण जटिया जी हैं, पहले सूरजभान जी भी रहे हैं, माननीय नारायण पंचारिया जी हैं और बहुत से लोग हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी में भी काफी काम किया है। बाकी पार्टियों में भी काफी काम हुआ है। हमारे मत-विभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं कांशीराम जी के त्याग और संकल्प का बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया था। आज बहन मायावती जी अपने तरीके से उस आन्दोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बाकी प्रदेशों में भी बहुत काम हुआ है।

जब मैं Scheduled Tribe की बात करता हूँ, तो मुझे हमेशा बिरसा मुंडा की बात याद आती है। उन्होंने झारखंड में बहुत बड़ा आन्दोलन किया था। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है। मैं करिया मुंडा जी की बात करूँगा। जनसंघ के समय से हमारे बहुत प्रामाणिक नेता रहे हैं। बाकी ललित ओरांव स्वर्गीय हो गये। अन्य प्रदेशों में भी बहुत-बहुत काम हुए। आज अर्जुन मुंडा जी हैं। यहाँ

पर भी लोग हैं। जिस उद्देश्य से यह आरक्षण दिया गया था, वह उद्देश्य empowerment में, सामाजिक न्याय में, उनकी बढ़ोतरी में सहयोगी हुआ है।

सर, इस सदन को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि संविधान के निर्माता बहुत सूझ-बूझ के लोग थे। उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 में ओबीसी को बिल्कुल स्थान दिया, in employment, in educational institutions, लेकिन political reservation लोक सभा और विधान सभाओं में सिर्फ दो communities को दिया- Schedule Castes को और Scheduled Tribes को, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है, तो हमें इनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। सर, बाकी मैं विस्तार से इसका उत्तर प्रश्नों के आलोक में दूँगा।

सर, मैं एक विषय और कहूँगा। संविधान में एक और प्रावधान है कि Anglo-Indians को दो सीट्स लोक सभा में देनी चाहिए और एक-एक सीट विधान सभाओं में देनी चाहिए। But, Sir, I would like to very gently convey one thing to this House that whereas under Articles 330, 331 and 332, there is a positive mandate, there shall be a reservation for SCs and STs, but in case of Anglo-Indians, the provision is that the President may nominate. It is a power of nomination. The second very important issue is that this nominated category does not fall within the general number of Lok Sabha seats. Two additional in the Lok Sabha, one additional in the Vidhan Sabha, as the case may be. सर, मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि अभी वह विचार चल

रहा है, लेकिन मैं एक बात सदन के सामने बताना चाहूँगा कि अभी हमने census के अनुसार SC-ST की population सुनी। अगर मैं क्रिश्चियंस की population की बात करूँ, तो 1951 में उस समय के census के मुताबिक देश में 81,57,765 क्रिश्चियंस थे और 2011 के census में उनकी population 2,78,19,588 हो गयी है। Sir, the Christians have risen, the SCs have risen, the STs have risen but as far as Anglo-Indians are concerned, unfortunately, the number of Anglo-Indians was 1,11,637 in 1951. Today, it has come to 296 only as per 2011 Census. One can differ with the number but I would like to highlight one thing surely. If you are accepting twenty crore plus population of Scheduled Castes as recounted by the Census, if you are accepting ten crore plus population of Scheduled Tribes as recounted by the Census and if you are willing to accept the number from eighty-one lakh in 1951 to two crore seventy-eight lakh of Christians, then, apparently, there is no reason I foresee as to why this number of 296 should be completely disbelieved.

(Contd. by RL/2F)

-BHS/RL-BKS/2.20/2F

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (CONTD.): Sir, I will explain that during my reply but one thing I would like to surely flag as to how country's constitutional scheme had also progressed. And, this is very, very important

to be appreciated because these things are rarely discussed. There are two provisions of the Constitution, Article 336 and Article 337. Article 336 says that in the first two years after the commencement of the Constitution, the number of Anglo Indians in Railway, Custom, Postal and Telegraph Services shall continue to be the same but after ten years it shall cease. I am reading proviso of Article 336, "Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution, all such reservations shall cease." Similarly, Sir, under Article 337, Anglo Indian community used to get educational grant. They said that this grant will continue for three years but after ten years it shall cease. Now, the Constitution came into effect in 1950 and after ten years both these provisions became non-operational. I do not want to make any political point, but whose Government was in 1960 is well-known. Therefore, this constitutional scheme has to be kept in mind. हमारी सोच पर मैंने कहा कि हम एंग्लो-इंडियन का विचार कर रहे हैं। लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत सोच है, सरकार की सोच नहीं है, लेकिन एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं बहुत महसूस करता हूं कि आज जो ऐसी बिल्कुल marginalised community हैं, जो अंधेरे में हैं, जो deprived हैं, जो election नहीं लड़ सकतीं, क्यों नहीं ऐसी deprived, marginalized कम्युनिटीज़ को हम सदन में स्थान दें, अगर हमें nomination करना है। इस बारे में इस सदन को कभी सोचना पड़ेगा और देश कि polity को सोचना पड़ेगा।

लेकिन आज मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो एस.सी.,एस.टी. का रिजर्वेशन है, जो 25 जनवरी को expire हो रहा है, हम इसे extend करें। यह हम सभी का नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व है कि इन दोनों वर्गों के प्रति जो हमारा आगे बढ़ाने का संकल्प है, उसे हम उसे आगे बढ़ाएं।

मैं सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसे सर्वानुमति से पास करें। धन्यवाद।

(समाप्त)

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: We have three hours' time allocated for this Bill and after this Bill, we have the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019; some inclusion provision, of course, modifying the List. It is an issue confined to the State of Karnataka but this is also important. And, then, I have also approved as Supplementary Business, the Bill to provide for the establishment of an Authority to develop and regulate the financial services market in the International Financial Services Centres, to be moved by the Finance Minister. Then, if time permits and Members willing, we should have the discussion on the Appropriation (No.3) Bill also. That is the Business. So, keep to the schedule. I am not asking to reduce

time or any such thing. Keep the time in mind and then make your submissions; whatever you want. Now, Shri P.L. Punia.

श्री पी.एल.पुनिया (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 126वें संविधान संशोधन पर हम विचार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आर्टिकल 334 में संशोधन किया जा रहा है। आर्टिकल 334 के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह लोक सभा और विधान सभाओं में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एंग्लो-इंडियंस के लिए 26 जनवरी, 1950 से 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था और एंग्लो-इंडियंस का बाय नॉमिनेशन छः बार, इससे पहले दस-दस वर्ष पर संशोधन हो चुका है।

(उपसभाध्यक्ष, डा.सत्यनारायण जटिया पीठासीन हुए)

एस.सी., एस.टी. का आरक्षण 25.01.2020 को समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार निर्णय लेकर आर्टिकल 334 में संशोधन करने के लिए इस संविधान संशोधन बिल को लेकर आई है।

(2G/VNK पर जारी)

VNK-DC/2G/2.25

श्री पी. एल. पुनिया (क्रमागत): आर्टिकल 334 के अंतर्गत SC, ST और Anglo Indians का आरक्षण 1950 से अभी तक बना रहा। 126वें संविधान संशोधन के तहत एससी, एसटी के आरक्षण को तो दस वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन Anglo Indians को छोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी इसका कारण कुछ अवगत

कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोक सभा में जो बिल पेश किया गया, उसके साथ जो Statement of Objects and Reasons दिए गए, उसमें Scheduled Castes, Scheduled Tribes के संबंध में जरूर बताया है कि संविधानं निर्माताओं ने इन वर्गों के संबंध में जो कल्पना की थी, उस समय जो कारण थे, वे अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन Anglo Indians के बारे में एक शब्द भी उसमें नहीं लिखा गया। यह मुझे आश्चर्य है, इसलिए मैं यह समझता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि Anglo Indians के लिए भी जो परिस्थितियाँ उस समय थीं और जिस उद्देश्य से इनको आरक्षण दिया गया था, वे परिस्थितियाँ और उद्देश्य आज भी खत्म नहीं हुए हैं।

महोदय, खास तौर से नौकरियों में इन वर्गों के लिए जो आरक्षण है, उसके बारे में कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि यह आरक्षण दस वर्ष के लिए लागू किया गया था, अब यह कब तक चलता रहेगा? स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि दो तरह के आरक्षण हैं - एक तो आर्टिकल 334 के अंतर्गत लोक सभा और विधान सभाओं में Scheduled Castes, Scheduled Tribes का आरक्षण है, Anglo Indians का nomination का प्रावधान है, जो कि अब 25 जनवरी, 2020 के बाद समाप्त हो रहा है। यह Article 334 के अंतर्गत है और दूसरा आरक्षण Articles 15 and 16 के अंतर्गत है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में बताया भी कि educational institutions में दाखिले के बारे में, सरकारी और public sector undertakings में नौकरी के बारे में, पदोन्नति के बारे में, पदोन्नति में आरक्षण के बारे में, backlog vacancies को भरने के बारे में, इन सबका पूरा प्रावधान Articles 15 and 16 में दिया हुआ है। आर्टिकल 334 के अंतर्गत इन वर्गों के

लिए सबसे पहले 1950 में दस वर्ष के लिए यानी 25.1.1960 तक के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसको दस-दस वर्ष पर बढ़ाया जाता रहा है। अभी यह 25 जनवरी, 2020 तक है और इसको इस संविधान संशोधन के माध्यम से 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाया जा रहा है। यह हर दस-दस साल के लिए बढ़ाया जाने वाला आरक्षण आर्टिकल 334 का है, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत जो आरक्षण है, जिसके तहत दाखिले, नौकरी आदि में इन वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, उसकी कोई समय-सीमा नहीं है। इस प्रकार से दो आरक्षण अलग-अलग हैं, इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेना चाहिए।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसके उद्देश्य के बारे में बताया, उसकी संख्या, जनसंख्या आदि के बारे में बताया, लेकिन बिल के साथ जो Objects and Reasons दिए गए हैं, उसमें बताया गया है कि आरक्षण देने के जो उद्देश्य और कारण थे, वे समाप्त नहीं हुए हैं और वे अभी भी कायम हैं। यह भी समझ लेना चाहिए कि वे कौन से reasons थे। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि मुझे खुशी है कि हम इनको universal franchise के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की बराबरी दे पा रहे हैं, लेकिन हम विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं - एक तरफ राजनीतिक अधिकारों की बराबरी और दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी और यह हमारे लिए आगे आने वाले समय में चुनौती होगी। उन्होंने एक चेतावनी के रूप में कहा था कि इस गैर-बराबरी को जितना जल्दी हो सके, समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे पीड़ित व्यक्ति इस

संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। आरक्षण देने के ये मुख्य कारण थे। बहुत से सुधार हुए हैं, इसको माननीय मंत्री जी ने भी admit किया, अनेक योजनाएँ आई हैं, लेकिन आज भी सामाजिक गैर-बराबरी मौजूद है और विशेषकर गाँवों में जाति के आधार पर ऊँचा-नीचा दर्जा माना जाता है।

(2H/RK-RSS पर जारी)

RK-RSS/2H /2.30

श्री पी.एल. पुनिया (क्रमागत) : मैं बताना चाहूँगा कि क्या यह सही नहीं है कि honour killing की शर्मनाक घटनाएं अभी भी हो रही हैं? अगर किसी दलित लड़के ने किसी अपर कास्ट लड़की से शादी कर ली, तो उसके जीवन को हमेशा खतरा बना रहता है। अनुसूचित जातियों को मंदिर में प्रवेश से रोकने की शिकायतें अनेक जगहों से आती हैं और बहुत-से विशेष कुओं से पानी लेने को भी मना किया जाता है, ऐसा कई जगह होता है। बहुत-सी जगह यह भी दृष्टांत आए हैं कि दलित दूल्हा अपर कास्ट मोहल्ले से बारात लेकर नहीं जा सकता। गुजरात, अन्य जगह भी, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अनेक जगहों में दलित दूल्हा गाँव में घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकाल सकता। मैं आपको सामाजिक गैर-बराबरी और विषमता के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक शर्मनाक घटना अकसर मीडिया के माध्यम से भी आती है कि दलित बच्चों को स्कूल में मिड-डे मील के लिए अलग लाइन में बिठाया जाता है और उनको अलग-बरतन दिए जाते हैं। क्या यह भी सही नहीं है कि अगर दलित रसोइए के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, तो अनेक स्कूलों में उसका बहिष्कार किया जाता है? बहुत-सी

जगहों पर मरने के बाद अपर कास्ट के गाँव या गली से उनका शव ले जाने से भी मना किया जाता है। यह अपनी जगह एक हकीकत है। जैसे उन्नाव में घटना हुई, कई जगह घंटनाएं हुईं, गुजरात में घटना हुई। ऊना, गुजरात में लोगों को पीटा गया। वे दलित थे, गरीब थे, इसलिए उनको पीटा गया, मारा गया। अनेक उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि 1950 का दलित समाज आज काफी बदला हुआ है। यह 1950 वाला समाज नहीं है। आज काफी विकास हुआ है, लेकिन अभी भी अन्य जातियों के मुकाबले अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति विकास में पिछड़े हुए हैं। साक्षरता में एससी केवल 66 परसेंट हैं, जबकि सामान्य वर्ग 74 परसेंट है और एससी महिलाएं केवल 56.5 परसेंट हैं, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाएं 64.63 परसेंट हैं। देश की 75 परसेंट दलित महिलाएं anemic हैं, अत्यधिक खून की कमी से जूझ रही हैं और 50 परसेंट महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 50 परसेंट से अधिक एससी फैमिलीज़ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही हैं। 83.5 परसेंट एससी फैमिलीज़ की मासिक आय 5,000 रुपए से कम है। 67 परसेंट एससी फैमिलीज़ केवल casual labour के रूप में काम कर रही हैं। अनुसूचित जाति के 3.95 परसेंट ही सरकारी नौकरियों में हैं और प्राइवेट सेक्टर में करीब 2 परसेंट हैं। इन सब आंकड़ों से पूरी तरह से स्पष्ट है, जो बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी है, तो आज भी गैर-बराबरी है। आरक्षण के पीछे बाबा साहेब ने जो मानक निर्धारित किए थे, सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए जो मानक निर्धारित किए थे, वे आज भी मौजूद हैं, पूरे नहीं हुए। सरकार ने अपने

Statement of Objects and Reasons में यह तो स्वीकार किया है कि जो परिस्थितियाँ संविधान सभा के सामने थीं, वे आज भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि दस साल के लिए रिज़र्वेशन बढ़ाया जा रहा है, उन दस सालों में, जो आर्थिक, सामाजिक विषमता दूर करने का मानक है, क्या वे दस साल में विषमताएं दूर कर लेंगे? अगर नहीं, तो मैं चाहूँगा, क्या सरकार इसको स्वीकार करेगी कि इसका पूरा एक impact assessment किया जाए। अब तक की जितनी भी योजनाएं आईं, उनका क्या परिणाम रहा? सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी दूर करने में उनकी क्या भूमिका रही?...(समय की घंटी)... आगे कितने दिनों में गैर-बराबरी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी? इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव भी जरूर देना चाहूँगा कि आप लोक सभा और विधान सभा के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके माध्यम से दस साल के लिए बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इसे राज्य सभा में भी क्यों नहीं लागू किया जा सकता?

एक माननीय सदस्य : विधान परिषद्।

श्री पी.एल. पुनिया : मेरा यह मानना है कि इसे राज्य सभा और विधान परिषद में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? आर्थिक संपन्नता से सोशल स्टेटस में सुधार होता है। नौकरी में आरक्षण से भी आर्थिक संपन्नता आती है।...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : पी.एल. पुनिया जी, समय हो गया है।

(2जे/डीएस पर आगे)

DS-KGG/2-35/2J

श्री पी.एल. पुनिया : सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। नौकरी में आरक्षण से भी आर्थिक सम्पन्नता आती है और चपरासी की नौकरी मिलने के बाद भी समाज में उसका एक दबदबा बनना शुरू हो जाता है। मैं यह चाहूँगा कि SC sub-plan, tribal sub-plan, जो पहले चल रहा था, जिसका एक अपना impact होता था, वह सरकार ने खत्म किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसको फिर से बहाल करने का विचार है या नहीं है? Lateral appointments में Joint Secretary तक आरक्षण को आपने खत्म किया है, वह आरक्षण आप बहाल करेंगे या नहीं? Class Four और Class Three के पदों पर लोग contract पर रखे जा रहे हैं, क्या इसको खत्म कर आप उन पदों में आरक्षण प्रदान करेंगे? जो बैकलॉग है, जो पद बड़ी संख्या में खाली हैं, उन पर आप भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे? पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं, जहाँ कोई आरक्षण नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करेंगे या नहीं करेंगे?

महोदय, मैं संविधान (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूँ, लेकिन इसी के साथ मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आर्थिक-सामाजिक विषमताओं को पूर्णतः खत्म करने के लिए विशिष्ट अभियान के रूप में आप कदम उठाएँ, ताकि भविष्य में आरक्षण देने की जरूरत ही न पड़े। मेरा अनुरोध है कि एंग्लो-इंडियंस के लिए भी आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसी के साथ, मैं इस संविधान (संशोधन) बिल का समर्थन करता हूँ।

(समाप्त)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं मोदी जी के इस कदम का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कि 126वाँ संविधान संशोधन विधेयक आज लाया गया, जो देश के एससी-एसटी वर्ग के लोगों को और 10 साल का मौका देगा, लेकिन मोदी जी जब पहली बार प्रधान मंत्री बने थे, तो यह आम अफवाह फैलाई गई, एससी-एसटी के लोगों को बहकाया गया, उनको गुमराह किया गया कि मोदी जी प्रधान मंत्री बन गए, अब एससी-एसटी के आरक्षण को खतरा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि प्रधान मंत्री आरएसएस के कदमों पर चलेंगे और संघ आरक्षण विरोधी विचारधारा रखता है। महोदय, यहाँ तक कहा गया कि मोदी संविधान तक को बदलेंगे, लेकिन यह सब कुछ करने के बाद -- महोदय, हमारे जो विचारक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उन्होंने अंत्योदय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसका उद्देश्य था कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसको आगे कैसे लाया जाए, उसका पिछड़ापन कैसे दूर किया जाए। यह हमारी मूल विचारधारा है कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। जब हमारा मूल विचार ही यही है, तो हम या मोदी जी किसी भी तरह से आरक्षण विरोधी नहीं हो सकते। हमारी विचारधारा सदा आरक्षण के पक्ष में रही है, जिसका परिणाम यह है कि देश की आज़ादी के 72 साल बाद, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 परसेंट रिज़र्वेशन देने का ऐतिहासिक निर्णय अगर किसी ने लिया है, तो वह मोदी जी की सरकार ने लिया है। इसलिए, विपक्षी जो भ्रामक प्रचार करते हैं, वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। यही नहीं, मोदी जी की सरकार आने के बाद अन्य

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मोदी जी के आने के बाद देश के राष्ट्रपति भी एक दलित समाज से बने हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूँ, मैं एसटी वर्ग का हूँ और मुझे राज्य सभा में भेजा गया। मेरे साथी, श्री रामकुमार वर्मा जी भी राजस्थान से यहाँ आए हैं, जो कि एससी वर्ग के हैं। राजस्थान की 10 राज्य सभा सीटों में से एससी-एसटी के हम दो लोगों को राज्य सभा में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने इस वर्ग का सबसे बड़ा सम्मान किया है। यही नहीं, हमारे यहाँ राज्य सभा में शायद पहली बार एससी वर्ग के माननीय श्री थावरचन्द गहलोत जी सदन के नेता के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 के लोक सभा के चुनाव में एक बार फिर तेजी से माहौल बिगाड़ा गया, ताकि एससी-एसटी के लोगों में भ्रम फैल जाए और मोदी जी की सरकार न आए।

(2के/एमज़ेड पर जारी)

MZ-SSS/2.40/2K

डा. किरोणी लाल मीणा (क्रमागत): उनको बहकाया गया, गुमराह किया गया कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम बहुत घूमे, लोगों को समझाया। ये प्रतिपक्ष के लोग कहते थे कि जैसे अचानक नोटबंदी लागू कर दी, आधी रात को जीएसटी लागू कर दिया, वैसे ही मोदी जी आधी रात को आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों और बेंच के सदस्यों, सुन लीजिए कि देश के

एस.सी./एस.टी. के लोग गुमराह नहीं हुए और हमें 330 सीटें देकर प्रचंड बहुमत दिया, जिसका परिणाम यह है कि मोदी जी ने आज 10 साल का आरक्षण बढ़ा दिया है, जिस पर आज राज्य सभा से भी ठप्पा लग जाएगा। इसे अटल जी ने भी बढ़ाया, लेकिन विपक्ष के लोगों की कुप्रचार करने की प्रवृत्ति बन गई और वे एस.सी./एस.टी. के लोगों को वोट बैंक समझने लगे। महोदय, असलियत यह है कि हमारी कॉंग्रेस ने बहुत लम्बा राज किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का क्या किया, उन्हें कैसे-कैसे अपमानित किया, यह हमने कई बार सुना है और देश जानता है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर डॉ. अम्बेडकर नहीं होते तो एस.सी./एस.टी. के लोग, मेरे जैसा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता था और मैं इस संसद का मुंह भी नहीं देख सकता था।...(व्यवधान)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री : कांग्रेस का शुक्रिया अदा करो, आप डॉक्टर बने हो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कांग्रेस का शुक्रिया है और कांग्रेस का शुक्रिया नहीं भी है। डॉ. अम्बेडकर को आरक्षण को लागू करने में कितनी कठिनाई आयी। आपके तो कई नेता अनशन पर भी बैठ गए थे कि हमको आरक्षण न मिले। अम्बेडकर जी ने कहा था कितनी ही मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, तमाम कष्ट सहन करते हए, जो कारवां मैं यहां तक ले आया हूं, मेरे अनुयाइयो, इस कारवें को निरंतर आगे बढ़ाते रहना। अगर आप न बढ़ा सको तो उसे रोक देना, किंतु उसे पीछे मत जाने देना। यह अम्बेडकर जी ने कहा था। वे किन विषम परिस्थियों में इसे लेकर आए, आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना विरोध था, जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था, बहुत अड़ंगे भी लगाए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में मैंने जो अधिकार आपको दिलवाए हैं,

वे पर्याप्त नहीं हैं, आपको और अधिकार लेने की ज़रूरत है। यदि और अधिकार न ले सकना तो कम से कम इतना ज़रूर करना कि उसे पीछे मत आने देना। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अम्बेडकरजी की उस मूल भावना का ध्यान रखा और इसको 10 साल तक आगे बढ़ाने का साहसिक कदम लिया है। कांग्रेस ने क्या किया, यह सबको पता है। ट्राइबल्स को आरक्षण दिलाने में डॉ. जयपाल मुंडा का भी रोल था। कांग्रेस ने दोनों का अपमान किया। कांग्रेस ने उनके प्रति दुर्भावना रखी। सबको पता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया, सबको पता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सेंट्रल हॉल में चित्र कब लगा, तब लगा जब एक दलित का बेटा रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बन कर आया, वरना कांग्रेस ने नहीं सोचा कि सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगना चाहिए। निम्न वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन और एस.सी./एस.टीज़ का isolation, यह इसका मुख्य कारण था, किंतु जैसा अभी पुनिया जी बता रहे थे, यह बात सही है कि अभी डिस्क्रिमिनेशन है और उसको दूर करने को आवश्यकता है। उसी दृष्टि से यह बिल यहां पर लाया गया है। मैं मंत्री जी को इस मौके पर एक सुझाव देना चाहूंगा, वैसे सारे देश की यही स्थिति होगी कि लोक सभा में 543 सीटें हैं, जिनमें एस.सी. की 84 सीटें हैं और 543 सीटों में 47 सीटें एस.टी. की हैं। जब रिज़र्वेशन दिया गया था, उस समय राजस्थान में एस.सी. की पॉपुलेशन 16 परसेंट थी और एस.टी. की 12 परसेंट थी। अब राजस्थान में एस.सी. की पॉपुलेशन 18 परसेंट हो गई और एस.टी. की 14 परसेंट हो गई। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जिस ढंग

से वहां जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से legislation में प्रतिनिधित्व बढ़े और नौकरियों में भी परसेंटेज बढ़े।

दूसरा मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पीएसयूज़ में आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

(2L/DN पर जारी)

DN-NBR/2L/2.45

डा. किरोड़ी लाल मीणा (क्रमागत) : और ज्यूडिश्यरी में आरक्षण दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक-एक विरोधी दल क्रीमी लेयर की तलवार हमारे ऊपर लटकाता रहता है। इसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो बैकलॉग की बीमारी है, तो इतना बड़ा बैकलॉग हरेक विभाग में होने का क्या कारण है? अब तो योग्य candidates भी उपलब्ध हैं, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विशेषकर ट्राइबल्स में एक समस्या यह है कि वहां पर बड़ी माइन्स लगती हैं, बड़े उद्योग लगते हैं, वहां बड़े मिनरल्स निकलते हैं और वहां पर सिंचाई की योजना है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उस समय आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। उनका प्रोजेक्ट के नाम पर तो विस्थापन कर दिया जाता है, लेकिन उनका proper rehabilitation नहीं किया जाता है। उनके proper rehabilitation की चिंता सरकार

को करनी पड़ेगी। जब एफ.आर.ए. एक्ट आया, तो एफ.आर. ए. एक्ट आने के बाद कुछ पट्टे बने और कुछ नहीं बने। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जिनको पट्टा नहीं मिला, उनसे जंगल खाली कराए जाएं। मैं मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह सुप्रीम कोर्ट में गई और इस पर स्थगन ले आई। उसके बावजूद भी जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है, उनके साथ जोर-जबरदस्ती की जा रही है, इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस पर विशेष cognizance लिया जाए। माननीय मंत्री जी, राजस्थान में मीणा एक एस.टी. जाति है। मीणा जब आरक्षण में नॉमिनेट हुए, उसमें English में 'MINA' था और हिंदी 'मीना' था। मीना, मीणा वैसे ही एक बात है, जैसे पानी और पाणी होता है, आडवानी और आडवाणी होता है। इसमें केवल बोलने का फर्क है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि हिन्दी में 'मीणा' और English में 'MEENA' का certificate राजस्थान में नहीं दियाजा रहा है। अतः हिन्दी में 'मीणा' और English में 'MEENA' के संशोधन जारी करके आप उनको लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। मैं मोदी जी की सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा की दृष्टि से विशेषकर ट्राइबल्स के लिए एक Ekalavya Model Residential Schools खोला है, जिनमें English medium होगा। इससे 50% की आबादी या जहां 20 हज़ार ट्राइबल्स रहते हों, वहां ये विद्यालय खोले जा रहे हैं। इससे एस.टी. के बच्चे IIT NEET की परीक्षा पास करेंगे और UPSC में उनका selection हो पाएगा। मोदी जी ने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, जिसके कारण एस.सी. और एस.टी. के लोग entrepreneur बन जाएं। ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं

सोचा। मोदी जी ने मुद्रा योजना चलाई, जिससे Start Up और Stand Up योजना के जरिए एस.सी. और एस.टी. के यूथ को रोज़गार मिला और उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो बड़ी गंभीर है और वह यह है कि एस.सी./एस.टी. के फर्जी सर्टिफिकेट लोग पा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी direction दी है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि दूसरे लोग फर्जी सर्टिफिकेट न ले पाएं। महाराष्ट्र सरकार ने यह किया है कि वहां ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर Scrutiny Committee बनाई है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर सर्टिफिकेट बनाने का अगर कोई legislation लाएंगे, तो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे और हमारे जो एस.सी./एस.टी. के भाई हैं, उनका अधिकार नहीं मारा जाएगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने डेवलपमेंट की दृष्टि से Aspirational Districts में विशेष कार्य योजना हाथ में ली है। उन Aspirational Districts के जरिए 110 districts लिए गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा एस.सी. और एस.टी. के लोगों को फायदा होगा, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी, जो आवास योजना लेकर आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा एस.सी. और एस.टी. के लोगों को आवास मिलने का मौका मिला है।

(2M/SC पर जारी)

SC-USY/2.50/2M

डॉ0 किरोड़ी लाल मीणा (क्रमागत) : मोदी जी ने जो विश्व की सबसे बड़ी "आयुष्मान भारत योजना" लागू की है, उस "आयुष्मान भारत योजना" के जरिए सबसे ज्यादा गरीब दलितों और एसटी के भाइयों का इलाज हो पाएगा। इसी तरह से "सौभाग्य योजना" लागू की गयी है, इस योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली पहुंच पाएगी। इस प्रकार एससी, एसटी के ऐसे अंदरूनी एरियाज़, ट्राइबल्स के अंदरूनी एरियाज़, जिन्हें आज तक बिजली मुहैया नहीं हुई थी, उन्हें बिजली दिलायी जा सकेगी। गवर्नमेंट ने "हर घर नल, हर घर जल" नामक योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत भी एससी, एसटी के गरीब लोगों के घर तक पानी पहुंचेगा। ..(समय की घंटी).. मोदी जी ने पांच साल से..(समय की घंटी).. और आगे तक भी एससी, एसटी के बजट को बढ़ाया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे स्टेट्स को ऐसे directions दें कि जिस स्टेट में जितनी उनकी तादाद है, उस स्टेट की सरकार भी इनके बजट को उसी तरह से बढ़ाए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है।

महोदय, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जिस ढंग से उनकी चिंता की थी और 1989 में जब रामविलास जी मंत्री थे, तो वे Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act लाए थे। उसमें 24 प्रकार के गुनाहों के संबंध में प्रावधान थे, लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए - मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि देश भर में दलितों के साथ, एससी, एसटी के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए वह कोई कानून लाए।

कुमारी शैलजा : कानून कौन लाया?..(व्यवधान)..

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : एनडीए की सरकार लायी और इस कानून में, जब मोदी जी 2016 में आए..(व्यवधान)..

कुमारी शैलजा : वे गलत कह रहे हैं।..(व्यवधान)..

श्री पी.एल.पुनिया : वे गलत आक्षेप लगा रहे हैं।..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : आप बैठ जाइए।..(व्यवधान).. पुनिया जी, बैठिए। अगर वे गलत कह रहे हैं तो आपको जब मौका..(व्यवधान).. ठीक है, आप बैठिए। ..(व्यवधान)..

कुमारी शैलजा :*

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : मोदी जी 2016 में ..(व्यवधान)..हरियाणा में बहुत अत्याचार होते हैं। ..(व्यवधान).. शैलजा जी, आप बैठ जाइए।..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : बीच में खड़े होकर मत बोलिए। ..(व्यवधान).. आप बिना इजाज़त के मत बोलिए, कुछ record में नहीं जाएगा।

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : वहां बहुत अत्याचार होते हैं। ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : जो बिना इजाज़त के बोल रहे हैं, वह record में नहीं जाएगा।

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : 2016 में मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने 24 की जगह ..(व्यवधान)..

कुमारी शैलजा :*

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : आप लोग आपस में बात मत करिए। ..(व्यवधान)..

---

*Not recorded

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : 24 की जगह 46 गुनाहों के संबंध में मोदी जी ने प्रावधान किया। ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : मैं allow नहीं कर रहा हूं, record में कुछ नहीं जाएगा।

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ..(समय की घंटी)..

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : अब conclude करिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : कोर्ट ने सेक्शन 3 को dilute कर दिया। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दलितों की रक्षा के लिए, एसटी की रक्षा के कोर्ट का फैसला बदलकर भी हमारी रक्षा करने का काम अगर किसी ने किया है, तो उनकी सरकार ने किया है। मान्यवर, promotion में आरक्षण में अगर कोर्ट ने फैसला किया तो उसको भी अगर बदलने का काम किया, affidavit देकर, तो मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के भाई हैं..(समय की घंटी)..

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : अब conclude करिए। आपका टाइम पूरा हो गया है।

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : यू.जी.सी. में भी मोदी सरकार प्रावधान लेकर आयी, जहां उनके प्रोफेसर बने, lecturer बने। इसी तरह से भीमराव अम्बेडकर जी का दिल्ली में सबसे बड़ा स्मारक बनाया तो मोदी जी ने बनाया। ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : श्री देरेक ओब्राईन।

डा0 किरोड़ी लाल मीणा : मऊ में बनाया, कहीं भी बनाया। कांग्रेस एससी, एसटी के लोगों का वोट बैंक के रूप में उपयोग करती रही है, उन्हें misguide करती रही है। एससी, एसटी के लोगों का सबसे ज्यादा कल्याण करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : श्री देरेक ओब्राईन।

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, I have lost my voice, but only my throat, not metaphorically. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (डा0 सत्यनारायण जटिया) : आप आराम-आराम से बोलिए।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the Government is extending the reservation for SCs and STs by ten years. This had earlier happened in 1959, 1969, 1979, 1989, 1999 and 2009. This has happened six times before. We welcome it with open arms. We only wish from the All India Trinamool Congress, why only ten years? Make it twenty years, we will be with you; make it thirty years, we will be with you. Bring the Amendment Bill. You are doing all this here. But, in Bengal, you have been humiliating the SCs and the STs for the last one week because we want to pass, in the Assembly, the SC/ST Commission Bill. The highest constitutional authority there has not signed

the Bill. I don't need a certificate from anybody, but the National Commission for Scheduled Castes has made Bengal the role model.

(Contd. by 2n – PK)

PK-PRB/2N/2.55

SHRI DEREK O'BRIEN (CONTD.): Enough said. If the other States follow the role model of SC/ST, we will all be doing well. This is said by the National Commission for SCs and STs. I am on something else today. We will all support this Bill. What else is happening here? What is in the Bill is good. What has been left out, is it devious, is it diabolical, is it deceitful? You are not putting something in this Bill. I will withdraw whatever I say, if you try and find the constitutional way to keep the other two reservations, because, otherwise, we know the mask is off. Please do not pit minorities versus minorities. We cannot bring an amendment to this if we want to, because, then, you will say, we are SC/ST. So, don't give us sanctimonious lectures about being SC/ST, and don't talk to us about persecution in neighbouring countries. Look at what is happening here today. In the North East, the MPs are not allowed to say that North East is burning. Jammu and Kashmir is shut down. ...(Interruptions).. Muslims, Bengali Hindus, Christians; Christmas, 14 days from now, we were told it is not the

Christmas Day, it is Good Governance Day. Now, let us come to the specific issues of why this has been left out. As the Minister himself admitted today that if a community is not पिछड़े हुए or forward; of course, the Anglo-Indians have never been a backward community, we have always been a forward community. By the way, this is the first time in 15 years of public life, I am speaking publicly as an Anglo Indian, I have never done that. Nor have I come to the House as an Anglo Indian MP. No. Anglo Indian is a small community, 3.5 lakhs. If the Minister lays that on the Table with his reply that we are 295, please, let him lay it on the Table, I would appreciate it. We are small or 296. We are a small community with a big influence because we run the best schools in this country where lakhs and lakhs of people go. Now, let us look at some other numbers. You have said that there are 297. Okay, I will take your figure. You have said, zero in U.P., zero in Uttarakhand, zero in Jharkhand and zero in Madhya Pradesh. Then, I want to challenge the BJP, how could they nominate four Anglo Indian MLAs there in the last three years? Illegal! Give me answer to this. How did you nominate when zero is there?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आपका गला खराब है..

श्री देरेक ओब्राईन : गला खराब है, लेकिन दिमाग खराब नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : दिमाग तो अच्छा बनाए रखिए।

SHRI DEREK O'BRIEN: You are not going to renew these two MPs. You are not going to renew the 30 State MLAs. Fine! You are also denying the community, as a result of this, Rs.1,300 crores because these MPs and MLAs would use this money. According to him, 297; according to the community, what the number is, we will go to the Supreme Court to make it 3,00,000 plus. Now, let us come to vote bank. Who talks about vote bank? They keep talking about vote bank. They are shameless vote bank. It is vote bank, vote bank, not for SC/ST. Don't give us sanctimonious lectures. Does Mamata Banerjee have to do vote bank to send one silly Anglo Indian elected to Parliament? Only one has been elected. Not for vote bank, because she believes in the Constitution of India, every one is eligible. I am happy to say, Sir, with humility, only one Anglo Indian in 72 years has been elected. Who made it possible? It is Ms. Mamata Banerjee. For those Christians who are going dabbing around with the BJP, this is the reward you will get, whether you are Christians, whether you are Muslims, whether you are minority, or Bengali Hindus who again are a minority. This is all big talk telling us about stories outside. I don't want to get into stories, Sir, I am on the Bill. I don't want to waste time talking

about yesterday, because Anglo Indians are not yesterday. In Railways, everybody knows the story of an engine driver of Bombay Howrah mail in 1960s. He kept on to the train, he saved everyone else and he died. He was not looking to see who the passengers were, Hindus, Muslims, everybody was there. Percy Carroll died. That is one story. In Armed forces, about the Indo-Pak war, there are endless stories, three Param Vir Chakras in two weeks. On 26th January, 2019, beautiful Republic Day parade, we all were there, *Pradhan Mantri, Raksha Mantri,* everyone.

(Contd. by PB/2O)

PB-RPM/2O/3.00

SHRI DEREK O'BRIEN (CONTD.): Flypast. Who was leading it? Captain Elvis, Group Captain Elvis, an Anglo Indian, Sir, one of the 296. Sport, Education; now let us give you some history. In 1947, when the British left because the Bengali freedom fighters worked the hardest for that, the Constituent Assembly had Frank Anthony. They offered the Anglo Indians, whatever the number, 'Go to Andaman Islands; we will make that into a territory'; and the community said, 'No, we are a small community, we are a gallant community, we don't want Andaman Islands; we want to be a part of India.' That was the commitment made. Sir, I will take two more minutes.

What did Frank Anthony say? Beautiful lines! This was the great Constituent Assembly Member. He told his community, 'The more we love and are loyal to India, the more will India love and be loyal to you.' Sir, one more big contribution. Today, with Mr. Bachchan and Mr. Siddhartha Basu, 'Quizzing' has become very big. Twenty years after Independence, Anglo Indians gave Quizzing and General Knowledge. They brought it to India. In 1967, my father, Neil O'Brien, did the first open quiz and today I speak with a sore throat but my father and mother, Neil and Joyce, are giving me the strength. Listen, Sir, which is a quiz question. Which is the only community with the word 'Indian' in its name? 'Anglo-Indian'. Sir, you can take away 13 seats. You can take away two MP seats. ले लो। But you can never take away 'Indian' from the 'Anglo-Indian'. Sir, this is not about Anglo-Indian. This is a much bigger issue here. Yesterday's Citizenship (Amendment) Bill left out. What it didn't say, it left out. That is the dangerous. And I made a little mistake yesterday because I think I said something a little wrong. I had started comparing the Nazi Copybook to the current dispensation and I think I got it wrong because this is an insult to the Nazi Copybook also. This is getting far ahead.

Sir, I want to end now. I want to end now by urging the Minister, make it not ten years for SC/ST, make it 20 years, make it 30 years; and you cannot bring an Ordinance now. They brought this Bill on the last day of legislation. So, no chance of an Ordinance. We know the rules. So, there is no chance of an Ordinance coming. So, the reservation is gone. If the motive is not devious, if the motive is not diabolical, you please bring a Constitutional (Amendment) when Parliament comes into Session. On behalf of my community and not the Trinamool Congress because I have spoken as a Trinamool Congress, when these things happen to any community, when you were betrayed once in 1947 because you stayed back, today, many in the community are feeling betrayed. But, Sir, the community, I know, we are a small but gallant community and today on behalf of this community, I want to rededicate ourselves to the only Book we know and we shall ever know and I will do it in truly Anglo-Indian style, which is a 'kiss'. Thank you, Sir.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you. Shri N. Gokulakrishnan. Not here. ...(Interruptions)... Oh. Yes. He is very much here. ...(Interruptions)... Please, please. Allow him to speak.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: Sir, ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कृपया माननीय सदस्यगण आपस में बातचीत न करें। लगातार बातचीत करना, सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करता है। अतः मेरा अनुरोध है कि लम्बी बातचीत करने से ये सारी कार्यवाही बाधित होती है।

(2 पी/एसकेसी पर आगे)

SKC-LP/2P/3.05

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY, in the Chair)

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (PUDUCHERRY): Sir, first of all, I wholeheartedly support this Bill. Article 46 of the Constitution states that State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of people and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. A caste-based reservation system was originally thought of by William Hunter and Jyotirao Phule in 1882. A form of it was implemented by Chhatrapati Sahu in the year 1901. The system was opposed by Mahatma Gandhi who fasted in protest against it. We need reservation because of the oppression that the lower castes

had to suffer at the hands of the upper castes. Therefore, some seats are reserved in the Parliament for SC and ST communities. This has been done so that the MPs elected from these constituencies are familiar with dalits' and adivasis' interests and can represent them in Parliament. As per the 2011 Census, the population of SCs is over 20.13 crores and that of STs is over 10 crores. As per the proposed amendment to Article 334 of the Constitution, 'reservation of seats and special representation shall cease after 70 years' has been substituted by 'reservation of seats and special representation shall cease after certain period'. The Bill proposes to continue the reservation of seats for the SCs and STs for another 10 years, that is, up to 25th January, 2030. While representing the Bill in Lok Sabha, the hon. Union Law Minister, Shri Ravi Shankar Prasad, said, "Reservation is undoubtedly good and it should be going on further. The BJP is determined to provide reservation for SCs and STs and it will be. Reservation will never be removed." In addition to this, he said, "The Government would bring reservation in judiciary also. This Bill gives a passage to the reservation provision for SCs and STs in the Constitution, which is to cease on 25th January, 2020. However, the Bill did not mention about the extension of reservation for the Anglo-Indian community, whose

reservation will cease on the same date. Out of 543 Lok Sabha seats, 84 seats are reserved for SCs and in Legislative Assemblies, out of 4,120 seats, 614 seats are reserved for SCs. The hon. Union Law Minister, while speaking on the Bill, had said, "According to the 2011 census, there are only 296 members of the Anglo-Indian community in the entire country. However, he said, I would still maintain that we will not close our minds to revisiting this issue."

Hence, I would request the hon. Law Minister to revisit the issue. Thank you, Sir.

(Ends)

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें जो एंग्लो-इंडियन्स को छोड़ा गया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। SCs/STs के लिए विधान सभा और लोक सभा में सीट्स का जो रिज़र्वेशन है, आपने उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया है, जिसके लिए आप इस विधेयक को लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, जैसा कि पी.एल.पुनिया साहब ने कहा, मीणा साहब ने भी कहा कि जिन परिस्थितियों में संविधान एडॉप्ट किया गया था, उस समय देश में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर यह रिज़र्वेशन न बढ़ाया जाए, तो धन, बल और बाहुबल के आधार पर चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, वे अभी भी इन वीकर सेक्शन्स के किसी आदमी को लोक सभा या विधान सभा में चुनकर नहीं आने दे सकते।

(AKG/2Q पर जारी)

AKG-HK/2Q/3.10

प्रो. राम गोपाल यादव (क्रमागत) : इसलिए बहुत जरूरी है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो समय बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ाये जाते रहना चाहिए। अम्बेडकर साहब ने देखा था कि कैसा बर्ताव होता था। जब वे बॉम्बे में लेक्चरर हुए और लेक्चर देने गए, तो उस कुर्सी को धोया गया। और तो और, बाबू जगजीवन राम जी ने बनारस में एक मूर्ति का अनावरण कर दिया था, तो एक बहुत बड़े नेता के भाई ने उसको गंगा जल से धोया कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने मूर्ति का अनावरण कर दिया, यह अपवित्र हो गई। यह मानसिकता है! अब भी आप बहुत interior में चले जाइए, तो लोग इन लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। अगर ये उनकी बराबरी में बैठ गए, तो वे अपना अपमान समझते हैं। मानसिकता यह है कि 1968 में हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर ने, एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ कुछ झगड़ा हो गया, आंदोलन हुआ, तो उस अनुसूचित जाति की महिला के साथ उसके लड़के को लेटने के लिए force कर दिया।

हम लोगों ने आंदोलन किया। गोली चली, कई लोग मारे गए। इसकी जाँच करने के लिए हमारी पार्टी ने एक कमिटी भेजी। श्रीधर महादेव जोशी साहब पुणे से हमारे एमपी थे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे वहाँ गाँव में गए। जब वे वहाँ बैठे थे और लोगों से बात कर रहे थे, तो एक लड़का आया, वह चारपाई पर सिरहाने बैठ गया, ऊपर की तरफ। हमारे यहाँ गाँव में यह है कि अगर उम्र में बड़ा होगा, तो वह ऊपर की तरफ बैठता है और अगर उम्र में छोटा होगा, तो वह नीचे की तरफ बैठता है। कुर्सियाँ वगैरह होती नहीं थीं। फिर जोशी जी ने कहा कि यह लड़का ब्राह्मण होना चाहिए। हमने पूछा कि आपने कैसे समझा? उन्होंने कहा कि और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। इनकी मानसिकता यह है कि ये अपने को सर्वोच्च समझते हैं और इसलिए वह ऊपर की तरफ बैठा। यह बात सही थी। His assessment was absolutely correct. श्रीधर महादेव जोशी जी, वे बड़े लीडर थे, महाराष्ट्र के सभी लोग जानते होंगे, वे पुणे से एमपी रहे, वे हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। वे लोक सभा के एमपी थे। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता है। वह मानसिकता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसलिए रिजर्वेशन आवश्यक है।

माननीय कानून मंत्री जी, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि जब इन गरीब लोगों का कोई मामला आता है, तो न्यायपालिका का रुख इनके खिलाफ ही जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक हम अनुसूचित जातियों को, पिछड़ों को न्यायपालिका में आरक्षण नहीं देंगे, इनके लिए कोई क्रांतिकारी कदम कोई सरकार नहीं उठा सकती। अगर वह उठाएगी भी, तो वह रद्द हो जाएगा। वह रद्द कर देगा।

आपने देखा, उसने रद्द कर दिया था कि नहीं। मैंने तो दिखाया था, मीणा साहब यहाँ अभी हैं नहीं, वह जो UGC का यूनिवर्सिटी में advertisement था। उस 13-point roster में एक भी ST नहीं था। एक भी, single! यह स्थिति थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया था। वह तो आपने कानून लाकर ठीक किया, वरना न्यायालय न्याय नहीं दे सकता है। वह लागू नहीं हुआ। ...(व्यवधान)... लागू हो जाएगा, तो फिर advertisement कैसे करेंगे? जिस दिन रद्द हुआ था, अगले दिन ही सारे advertisements निकल गए थे। श्रीमन्, जिस देश में मानसिकता यह हो, उसमें यह आरक्षण निरंतर बना रहेगा और बना रहना चाहिए, जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा। यह तो मैं केवल SC और ST की बात कर रहा हूँ। यही स्थिति backwards की है।

मान लीजिए कि Anglo-Indians की संख्या कम है, तब तो यह बहुत जरूरी है कि उनका कोई न कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर किसी की संख्या कम है, तो उनकी बात कहने वाला कोई न कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। सिद्धांततः इस बात को देखिए, तो परिवार में भी जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उसका ध्यान ज्यादा रखा जाता है। आज संख्या कम हो रही है, तो कौन सा फर्क पड़ता है, अगर 543 सदस्यों की लोक सभा में एक-दो Anglo-Indians आ जाएँ? ...(समय की घंटी)... ——

(2आर/एससीएच-पर जारी)

SCH-DPS/3.15/2R

प्रो. राम गोपाल यादव (क्रमागत) : ये कहां सरकार को बनाने या बिगाड़ने जा रहे हैं? ...(समय की घंटी)... एक बार ज़रूर अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, तो कहीं आपके दिमाग में वही तो नहीं है? Anglo-Indians का रिज़र्वेशन बरकरार रहना चाहिए। आपको इसमें पहले ही संशोधन लाना चाहिए था। आप अपना मन बड़ा रखिए। जब पूरे देश ने आपको इतना प्रचण्ड बहुमत दिया है और इतने बड़े बहुमत से आपको सत्ता में भेजा है, तो मन छोटा मत कीजिए, मन बड़ा रखिए। इस देश में Anglo-Indian community का contribution रहा है और आज भी है। जिनको परमवीर चक्र मिला, वे Lieutenant Colonel A.B. Tarapore कौन थे? इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया है। उनकी संख्या कम है, इसलिए आप उनका आरक्षण खत्म कर देंगे, यह उचित नहीं है। उनका nomination होता था और अब आप उनका nomination भी खत्म कर देंगे, यह गलत है। उनके लिए nomination का यह प्रावधान रहना चाहिए, यह व्यवस्था रहनी चाहिए, मेरा ऐसा मत है।

महोदय, जैसा पुनिया साहब ने कहा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ, मैं रोज़ देखता हूं, कई मामलों में अत्याचार होता है। अगर वे मुकदमा लिखा देते हैं, तो...(समय की घंटी)... मैं बस आधे मिनट का समय और लूंगा। अगर वे मुकदमा लिखा देते हैं, तो उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया जाता है, ताकि मजबूरन वे समझौता करें। ये चीज़ें हम रोज़ देख रहे हैं। जब यही मानसिकता बनी रहेगी, तो उनके

लिए यह आरक्षण की व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नौकरियों में किसी भी sensitive post पर, एक-आध को छोड़कर, Scheduled Caste या Scheduled Tribe का कोई बड़ा अधिकारी अथवा ज़िले का कलेक्टर या एसपी नहीं है।...(समय की घंटी)... कोई नहीं है। 50 प्रतिशत एक जाति के लोग हैं और लगभग 50 प्रतिशत ही दूसरी जाति के लोग हैं, बाकी सब कूड़ेदान में डाल दिए गए हैं, यह स्थिति है। जब यह मानसिकता हो, तो यह जरूरी है और जिनकी संख्या कम है, माननीय मंत्री जी, उन पर कृपा करें। दो एमपीज़ से कौन सा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो वैसे भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Prasanna Acharya*ji*, I have one question to ask. Will only Shrimati Sarojini Hembram speak from your Party as four minutes have been allotted to your Party?

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, I will speak for one minute later.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Okay.

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (ओडिशा) : सर, आपने मुझे 'संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019' के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूं। सर, आर्टिकल 334 के तहत एससी/एसटी वर्ग के लिए रिज़र्वेशन व्यवस्था में दस साल और वृद्धि करने के लिए लाए गए इस बिल का मैं समर्थन करती हूं। सर, यह

बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि संसद और विधान सभाओं में एससी/एसटी के रिज़र्वेशन के लिए हर दस साल में समय बढ़ाना पड़ता है। अगर समय को अब नहीं बढ़ाया गया, तो एससी/एसटी का रिज़र्वेशन 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि 1950 से अब तक एससी/एसटी वर्ग की living conditions में काफी सुधार हुआ है, लेकिन उस गति से सुधार नहीं हो पाया है, जिससे कि हम अपने समाज को casteless society बना सकें। सर, वर्तमान संसद में एससी सम्प्रदाय के 84 मेम्बर्स और एसटी सम्प्रदाय के 47 मेम्बर्स हैं। पूरे देश की विधान सभाओं में एससी कम्युनिटी के सदस्यों की संख्या 614 है और एसटी कम्युनिटी के सदस्यों की संख्या 554 है, जो कि बहुत कम है। इसीलिए यदि संभव हो तो उपयुक्त यही होगा कि इन समुदायों को पार्लियामेंट और विधान सभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके रिज़र्वेशन को और बढ़ा दिया जाए।

सर, समाज में बराबरी का भाव लाने के लिए, जो समुदाय काफी समय से सुविधाओं से वंचित है, ऐसे समुदाय के लोगों को राजनैतिक और आर्थिक विकास में भागीदारी देना आवश्यक है। सर, मैं ओडिशा से हूं और ओडिशा में एससी समुदाय के लोगों की संख्या 70.12 प्रतिशत है और एसटी समुदाय के लोगों की संख्या 22.84 प्रतिशत है।

(2S/PSV पर जारी)

RSV-KSK/2S/3.20

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (क्रमागत): सर, हमारे सीएम श्री नवीन पटनायक जी ने 4.5 करोड़ ओडिशावासियों के लिए, जो एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों के लिए कई कदम उठाये हैं, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। चाहे वे महिलाएँ हों या युवा हों, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बहुत सी सुविधाएँ उन्होंने दी हैं।

सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो बहुत बरसों से reservation in promotion है, वह ठीक तरह से अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो backlog है, उसको जल्द से जल्द, चाहे वह एससी का हो या एसटी का हो, उसको भरना चाहिए। ...(समय की घंटी)... हो गया, सर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वह BRGF हो, SCP या Tribal Sub-Plan हो, ये काफी दिनों से अभी तक बन्द हैं। सर, इतनी सारी जो स्कीम्स थीं, अगर ये बन्द होंगी, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? जो backward districts हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ अभी तक इन स्कीम्स से जो डेवलपमेंट होता था, वह अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर से यह चलाना चाहिए। सर, इस बिल का समर्थन करते हुए, देश में जो सारे Anglo-Indian सम्प्रदाय है, उसकी भी स्थिति ठीक से स्पष्ट करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): वाइस-चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। साथ ही, देरेक ओब्राईन साहब ने जो कहा और माननीय मंत्री जी जब इस

बिल को रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि Anglo-Indians को nominate करने पर वे विचार कर रहे हैं, मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा कि वे विचार सकारात्मक करें, क्योंकि जब किसी को एक बार कोई अधिकार मिलता है और उससे जब उसको वंचित किया जाता है, तो उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वह अन्याय नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा सब लोग कर रहे थे- आरक्षण। आज आप देखिए कि यह लोक सभा में भी और विधान सभाओं में भी 10 साल के लिए बढ़ जायेगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। ज्यूडिशियरी में, खास कर हायर ज्यूडिशियरी में आरक्षण नहीं है। इसके लिए हमारा जो लॉ कमिशन है-- कई बार यहाँ भी चर्चा हुई और हम लोगों ने भी बात उठायी और आज भी कई सदस्यों ने यहाँ उठायी। इसका एक ही रास्ता है कि All-India Judicial Service तुरन्त बनायी जाए, जिसके बारे में आज माननीय मंत्री जी ने सवेरे क्वेचन ऑवर में बताया था। जब आप All-India Judicial Service बनायेंगे, तो अपने आप उसमें SC, ST, OBC और जो अब 10 परसेंट आरक्षण आपने Economically-Weaker Section को दिया है, वे भी आ जायेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस सेशन में तो अब सम्भव नहीं है, लेकिन बजट सेशन में All-India Judicial Service की स्थापना के लिए बिल जरूर लायें। उस बिल को राज्य सभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि राज्य सभा को उसमें एक विशेष अधिकार प्राप्त है। जब यह लायेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि जो हमारा

लोकतंत्र है, उसकी सब जगह भागीदारी हो रही है, तो ज्यूडिशियरी में भी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी।

बात यह आयी कि हमारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज है और जो mindset की बात है, यह सबसे जरूरी है। मैं वाइस-चेयरमैन साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, हमारे यहाँ करीब 25,000 ऐसे दलित-महादलित टोले हैं, जहाँ हमारे राष्ट्रीय झंडे के झंडोत्तोलन का काम उस गाँव के जो सबसे बुजुर्ग दलित-महादलित समाज के व्यक्ति होते हैं, वही करते हैं। इससे एक मैसेज जाता है। साथ ही, चर्चा कर रहे थे कि जो सुविधाएँ हैं-- हमारे यहाँ 7 निश्चय हैं। उसमें हरेक घर में, आज जो 'नल का जल' भारत सरकार भी लागू कर रही है, बिहार में पहले से ही लागू है। इसके लिए priority बनायी जाती है और सबसे पहले उनको दिया जाता है। साथ ही, जितने भी लोग हैं, सबके दरवाजे तक पक्की गली और नाली के निर्माण की भी व्यवस्था है। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार भी सभी जगह इस चीज़ को लागू करे। इससे उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वे उनको जरूर मिल जाएँगी। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि खास करके हमारे यहाँ जो बच्चे शिक्षा के लिए जाते हैं, तो उनके मन में भी शुरू से इस बात को बताया जाना जरूरी है। जैसे अभी बता रहे थे कि साहब, बच्चों में यह होता है। तो जो uniform है, हम लोग भी बिहार में सब जगह देते हैं और सभी जगहों पर भी दिया जाता है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि चाहे वह uniform का मामला हो या scholarship का मामला हो, उसमें बिल्कुल universal रखना चाहिए। —> (2टी/बीकेएस पर जारी)

DPK-BKS/2T/3.25

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत): जिससे कि बच्चे में कहीं से इस बात का मन में भेद न रहे। इससे निश्चित रूप से हमारा समाज और मजबूत होगा और हम सदन में आज जो आरक्षण बढ़ाने का बिल लाए हैं, इसका समर्थन करने से इस समाज में एक मैसेज जाएगा। खासकर आज आप हमारे बिहार में देख लीजिए कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में 2005 के पहले जो सबसे नीचे की पंचायत है, वहां आरक्षण एक पद पर नहीं था, लेकिन आज करीब 8326 पंचायतें हैं, उनमें सब जगह 17 प्रतिशत आरक्षण है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, चूंकि हर दो टर्म के बाद उनका आरक्षण बढ़ाया जाता है तो इससे निचले स्तर पर चाहे पंचायत स्तर पर हो, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, नेतृत्व का निर्माण हो रहा है और वह जो नेतृत्व बन रहा है, वह आगे चलकर विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में भी आएगा। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।

इतना कहकर इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Hon. Vice Chairman, Sir, I am in a dilemma. This Bill seeks to extend the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Lok Sabha and in Assemblies also for

another ten years. Hence, I must support this and I have to support this. But, at the same time, the Bill seeks to discontinue the nomination of Anglo Indians, for which, I have to oppose this Bill. Sir, that is why, I am saying that I am in a dilemma. I, of course, support the extension of reservation, so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned. But, when we are discussing about the reservation, I think, this Upper House should also be concerned about the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this House itself. We have to think about it because there is no reservation for them in this House. Their representation should be ensured in this House and that should also be a matter of concern. Sir, the Bill already decided to discontinue the Anglo-Indian nominations. I want to know from the hon. Minister as to what the logic behind discontinuing their reservation is. Has the Government conducted any study of the status of Anglo-Indian community in our country? Are those sections sufficiently represented in Assemblies and Parliament without reservation? Why has such kind of a decision been taken? It seems that the hon. Minister, in the other House, was saying that the total population of the Anglo-Indian community is only 296. Sir, what is this? I am requesting the hon. Minister to visit Kerala. You can come to Kannur. You can visit the neighbouring places

of Kannur and Mangaluru. In Kerala alone, more than 80,000 people are there who belong to Anglo Indian community. Why are you misleading? I think, it is a wrong perception that the total population of Anglo-Indians is only 296 and hence you are bringing this Amendment. You are not allowing the participation of Anglo-Indians. What is this? This is highly objectionable. ...(Time-bell)... Hence, I am requesting the Government to reconsider it. Sir, please give me two more minutes.

We all know that our country is a most religiously and ethnically diverse nation. Sir, diversity is the soul of our country and if you are not able to understand...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: If you are not able to understand that soul, you will take this kind of decision.

(CONTD. BY GSP/2U)

GSP-VNK/3.30/2U

SHRI K.K. RAGESH (CONTD.): Sir, you are simply breaking the soul of our country. You are snatching away the rights of the minorities one after another. You are dividing the people on communal lines. Even you are not able to tolerate this miniscule, tiny minority community? What is this? So, I request the Government to reconsider its decision. I do not know what words should I use for this? I do not know how a Government can take such kind of a decision? Is it not xenophobia? Why is the Government doing such kind of things? You are snatching away the rights of the minority communities, one after the other, which is ultimately leading to a communal divide in our country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: See the unrest which is there throughout the country. What is happening in Assam or in Kashmir? Why, Sir? Why is the Government doing like this?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: Please reconsider this decision and extend the representation of Anglo Indian communities in Lok Sabha and Assemblies. Thank you very much.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Now, Shri P. Wilson. Hon. Members, we have to conclude this discussion before 4.30 p.m. There are three more Bills. Kindly help me to complete it within the allotted time.

SHRI P. WILSON (TAMIL NADU): Sir, the Statement of Objects and Reasons mentions that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have made considerable progress in the last seventy years. I want to ask a question to the hon. Law Minister. Does he have any data which suggests this considerable progress? Unless you bring the people to the level of other advanced classes, you cannot say that there is a considerable progress. Our country still has people with orthodox mindset, and, Sir, especially, in the rural areas, where untouchability still prevails, we see honour killings, social boycott, etc. *Dalits* are not allowed even to enter the temples. They are not allowed to cross certain lanes.

See their representation in the Government appointments. Why is it that in the Union Government, all top posts are still occupied by other people? See the Secretaries in various departments, Judges of High Courts, Judges of Supreme Court, Professors in the universities, Public Sector Undertakings, Government Service, Railway Service and Banking Services, still, these people are not given due representation.

Sir, here, I would like to quote Dr. Ambedkar. In the Constituent Assembly, on 25th August, 1949, when the then Article 295A was amended, Dr. Ambedkar said, "For the Scheduled Tribes, I am prepared to give far longer time. But all those, who have spoken for reservations to SCs and STs have been so meticulous that the thing should end by ten years. All I want to say to them in the words of Edmund Burke is that 'large empires and small minds go ill together'." That is what I could see in this restriction to ten years. Anyway, I welcome this Bill.

As far as Anglo Indians are concerned, there is a Constitutional guarantee under Article 331 as well as 366(1) wherein the Anglo Indians have been defined. Sir, they are the people who have brought much knowledge into India and because of them we had developed in many areas. In fact, if you see, the railway and other educational institutions, they have been part

and parcel in developing this country. If you see the 95th Constitutional Amendment which was brought in 2009, for SCs, STs as well as Anglo Indians, the term was extended. However, now, it has not been extended. I would only say that they are part and parcel of this country. You can see them in large numbers not only in Kerala but also in Tamil Nadu and other parts of the country. Yesterday, you were against the Muslims, today you are against a part of Christians. So, I would say that you are attempting to divide the country and rule the country. Thank you.

(Ends)

(Followed by 2W/YSR)

RK-YSB/2W/3.35

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 का समर्थन करता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 334 में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि दस वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वह अब बढ़ कर 25 जनवरी, 2030 हो जाएगी।

महोदय, देश में विगत 70 वर्षों में संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण देते समय हमारे संविधान निर्माता परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने समाज की पीड़ा को देखा था और समझा था। आज भी देश और समाज में इनको

हीन भावना से देखा जाता है और इस समाज के उत्थान और लोगों को बराबरी पर लाने और सम्मान दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण में प्रावधान किया गया था, जिससे समतामूलक समाज की स्थापना हो सके।

महोदय, वर्तमान में लोक सभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जबकि देश भर के सभी राज्यों की विधान सभाओं की 4,120 सीटों में से 614 सीटें अनुसूचित जाति और 544 सीटें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं। परमपूज्य बाबा साहेब का सपना था कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि लोक सभा और विधान सभा में जाकर अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और समाज के हितों की रक्षा करेंगे।

महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में 20.13 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति में 0.45 करोड़ हैं और इनकी साक्षरता दर क्रमशः 66 प्रतिशत और 59 प्रतिशत है, जबकि देश की साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। आज 70 वर्षों के बाद भी हम इनको पूरा साक्षर नहीं बना पाए हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, आज हमारे देश में सरकारी नौकरियों के वर्ग क, ख, ग में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। आज तक उनको पूरा नहीं भरा गया है। महोदय, भरना तो दूर रहा, आज उनको धीरे-धीरे करके समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि आज सरकार की मंशा, चाहे इधर की रहे या उधर की रहे, अनुसूचित जाति-जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं रही है। चूँकि आज तक उस आरक्षण को पूरा

नहीं किया है, जिसकी कल्पना परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने की थी। आज बहुत backlog है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जब वे उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्य मंत्री रहीं, तब उन्होंने विशेष अभियान चलाकर एससी-एसटी-ओबीसी का जो पूरा backlog खाली था, उसे भरने का काम किया।

महोदय, इसके साथ-साथ, यह भी बहुत एक गंभीर समस्या है, सोचने का विषय है कि आज हमारे देश में सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। हमें इसमें एतराज़ नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, किंतु जिस प्रकार से परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने सभी सरकारी विभागों, अर्द्ध सरकारी विभागों में आरक्षण की व्यवस्था की थी, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप भी आज प्राइवेट सेक्टर को देते समय आरक्षण की व्यवस्था करें!...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वीर सिंह : महोदय मैं एक मिनट और लूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : मैं इस घड़ी की ओर देखता हूँ। टेबल क्लॉक और वॉल क्लॉक में थोड़ा अंतर है।

श्री वीर सिंह : महोदय, आज 2007 से 2017 के बीच, इन 10 वर्षों के अंतराल में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के ऊपर अन्याय-अत्याचार बढ़ा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : इस ग्रुप में अभी सात स्पीकर्स और हैं और दोनों घड़ियो में अंतर है।

श्री वीर सिंह : आज भी समाज में रहने वाले इन लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। कहीं-कहीं तो किसी प्रदेश में आज भी अनुसूचित जाति को लोग अपने बेटे की बारात घोड़ी पर नहीं ले जा सकते। आज भी महिलाओं के साथ अन्याय-अत्याचार हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : मैं आपके जज्बात समझता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी है।

श्री वीर सिंह : महोदय मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज शिक्षा का भी प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है और जो छात्रवृत्ति जाती थी, वह समय पर नहीं मिल रही है।...(समय की घंटी)...

एक माननीय सदस्य : अभी एक मिनट और है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : नहीं, नहीं अभी सात लोग और बाकी हैं।

श्री वीर सिंह : प्रवेश के समय एससी-एसटी के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, आज वह नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका प्रवेश नहीं हो रहा है। पहले ज़ीरो बैलेंस पर एडमिशन होता था, लेकिन आज उसे समाप्त कर दिया गया है, इसलिए आज एससी-एसटी-ओबीसी के बच्चे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सरकार समय पर पैसा नहीं भेजती है। आज उनको शिक्षा की तरफ से भी वंचित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, इसलिए न्याय नहीं मिलता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : श्री स्वपन दासगुप्ता जी, आप शुरू कर दीजिए। आप शुरू कीजिए।

श्री वीर सिंह : मैं खुद वकील हूँ, जब बहस करने के लिए जाते हैं, वहाँ यह देखा जाता है, जज यह देखकर निर्णय करता है कि यह एससी का वकील है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : माइक बंद हो गया है। आप शुरू कर कीजिए।...(व्यवधान)... शुरू कर दीजिए, माइक बंद हो गया है।

श्री वीर सिंह : यहाँ तक न्याय किया जाता है, तो मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि आप न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था करें और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति करें, तब इस समाज के लोगों को न्याय मिल सकेगा।

(समाप्त)

(2एक्स/डीएस पर आगे)

-YSR/BHS-/2X/3.40

SHRI SWAPAN DASGUPTA (NOMINATED): Sir, I just want to speak on the issue of Anglo-Indians. We are bringing the curtain down on Anglo-Indian reservation in this country. I think, after seventy years, maybe, the time has come when this community has ceased to have a basis of an independent existence. While doing this, I think, it would be unfair to not recognize the seminal contribution this community has made, particularly, in the field of education, which my friend, the DMK Member, spoke about. It

has made a significant contribution in running of the railways and earlier in the running of the police. So, on record, we should place our appreciation of the role this community has played, not least of which the role played by some of the very interesting MPs like Shri Frank Anthony. If you were to read his speeches -- and I just had the opportunity of reading his speeches on the First Amendment -- we would all revel in the quirky eccentricities of the man. I think, they certainly brought a lot of colour and charm into this House. If at all we are to ever consider giving representation to communities who otherwise may not get elected and, I think, that might have been the reason why the Anglo-Indian reservation was considered at the first time, I think, my friend, the Union Law Minister might consider the role of the Zoroastrian community which too at one time had a significant presence in the political sphere. I can think of Shri Piloo Mody. I can think of a Communist like Homi Daji and, of course, Shri Minoo Masani, of the Swatantra Party. Today, unfortunately, we do not have anyone who is elected in the Lok Sabha from that community. ...(Time-Bell rings)... It is just an odd thought but if anybody was to relook the entire case of these marginal communities, who have played a role in the nation and continuing playing a role, we might consider this. Thank you very much. (Ends)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, I congratulate the hon. Law Minister for introducing this Bill which aims to extend the period of reservation of seats in Lok Sabha and State Assemblies for SC/ST for a further period of ten years.

The Statement of Objects and Reasons clearly mentioned the reasons which weighed the Constituent Assembly in making provisions with regard to reservation of seats for SC/ST that have not yet ceased to exist. Therefore, with a view to retain the inclusive character as envisioned by the founding fathers of the Constitution, the Bill proposes to extend the reservation of seats for SC/ST till January, 2030.

Sir, the founding fathers originally thought of ameliorating the condition of SCs/STs within a period of ten years of commencement of the Constitution. But, even after 70 years, there is no perceptible change in the status of SCs and STs. And who is to be blamed for this? I would like to highlight the question as to who is responsible for the reason that there is no perceptible change in the status of SCs and STs. I have no hesitation to say, it is quite obvious the Party which is responsible for this is the Party which has ruled this country for a period of fifty years. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: It is because except sloganeering, except chanting Dr. Ambedkar and playing vote bank politics and foisting false cases against their political opponents, the Congress Party has not done anything. Even after they ruled the country for a period of fifty years, nothing has been done for SCs and STs. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please. ...(Interruptions)... You address me only. ...(Interruptions)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Now, things are moving and moving swiftly for the betterment. ...(Interruptions)... I hope that the present Government would achieve the goals set before it. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please sit down. ...(Interruptions)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, my next point, in this regard, I wish to make in relation to Section 26 of the AP Reorganisation Act which talks about Delimitation of AP Assembly constituencies in Andhra Pradesh and Telangana.

(Contd. by BL/2Y)

-BHS/RL-MZ/3.45/2Y

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): Sir, Section 26(1) says that the number of seats in the Legislative Assembly of the successor States of Andhra Pradesh and Telangana shall be increased from 175 and 119 to 225 and 153, respectively. Sir, delimitation of the constituencies may be determined by the Election Commission. ...(Time Bell)... Sir, one more point.

Sir, my next point is in regard to giving reservation to OBCs also in Lok Sabha and State Legislatures for which I have already moved a Private Member's Resolution but it was not approved by the House. OBCs have been raising it for since long. Sir, I will take half-a-second. In 2008, our beloved leader, Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Garu, passed a Resolution in the AP Assembly to give reservation to OBCs as also in Parliament and Assemblies and sent to the Government of India for implementation. A similar resolution was also passed in 2010 in the AP Legislative Council.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you. No further, please.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: It is not AP alone, even Telangana Assembly also passed a Resolution. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No, no, sit down. ...(Interruptions)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: When the Government is providing reservation for OBCs in Panchayats and Local Bodies...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No; no. Your time is over. ...(Time Bell)... Now, Shri Ramdas Athawale.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: I don't find any difficulty in providing reservation for OBCs in Lok Sabha and State Assemblies. So, I request the Government of India to provide reservation....

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Shri Ramdas Athawale; not present. Now, Prof. Manoj Kumar Jha.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (BIHAR): Hon. Vice-Chairman, Sir, and Hon. Minister *Saheb*, I begin with, as one of my friends said, महोदय, आप इसमें दवा के साथ ज़हर भी लेकर आए हैं। मैं दवा के साथ हूं, लेकिन ज़हर के खिलाफ़ हूं। सर, बेसिकली एक Cassius कहते हैं

> "The fault, dear Brutus, is not in our stars,
> But in ourselves, that we are underlings."

माननीय मंत्री महोदय, मैंने Cassius का जिक्र किया है। "The fault, dear Brutus, is not in our stars. But in ourselves, that we are underlings." I am referring to the case of Anglo-Indians. A long ago, I read a book named, "Beyond the Call of Duty."

THE MINISTER OF LAW & JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, the Law Minister has one problem; with greatest of respect, that such a powerful English, Professor *Saheb* speaks, at times, I have to look for dictionary. That is my problem.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): He is referring to Julius Caesar.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Mr. Vice-Chairman, Sir, subaltern people can only speak a language which is powerful. We don't have the power to change the course of history. Anyway, सर, मेरा समय एडजस्ट कर दीजिएगा। Again, I say that when you talk about Anglo-Indians, I just, for the clarity of the House, put it on record, that in 1950s and 1960s--we have started talking about women empowerment now--when the offices needed women workforce they came from Anglo-Indian community. I don't need to go into the details of what they have done. कभी-कभी लगता है मंत्री महोदय, कि जब आप 296 कह रहे थे, कहीं पीछे वाले तीन शून्य किसी फाइल में तो नहीं रह गए। यह हो

सकता है, मैं यह संभावना व्यक्त कर रहा हूं। Sir, Paul Cressey writes that Anglo-Indians is a marginal group balanced in unstable equilibrium between the foreign and indigenous civilization of India. The British rulers disowned the Eurasians as "half-castes" and treated them with disdain. That is what I wanted to highlight. Sir, I would urge the House, today, -- सर, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए।--when I say in affirmation about this Bill that I am in favour...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

प्रो. मनोज कुमार झा : एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाह रहा हूं, अगर बात छूट जाएगी तो कब होगी, यह पता नहीं। Sir, Poona Pact, 87 years old, I would urge the House...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No; no. Please

PROF. MANOJ KUMAR JHA: I would urge the House to revisit the Poona Pact probably the idea of Ambedkar on representation was much more progressive than it was treated at that time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Manoj*ji*, Please conclude.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: And, then,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No, please.

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, आखिरी बात कह रहा हूं 'कराची की सड़कों पर'... कल reference में कहा गया कि लियाकत अली खान साहब ने दलितों को कहा कि हम उन्हें हिन्दुस्तान नहीं जाने देंगे, क्योंकि कराची की सड़कों पर कौन झाड़ू लगाएगा। महोदय, मेरे मुल्क की सड़कों पर कौन झाड़ू लगा रहा है, मेरे मुल्क के सीवर को कौन साफ कर रहा है? सर, यह दोहरा बयान नहीं होना चाहिए, जय-हिन्द।

(2Z/DN-पर आगे)

DC-DN/2Z/3.50

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (KERALA): Sir, nobody can object to this Bill on its face. But there is a 'but'. There is a term that we all know, i.e., 'political will'. I really feel that that is absent with this Government. Political will for the real empowerment of the SCs and STs is missing with this Government. Anglo-Indian is a very minute minority and their concerns are totally forgotten. In the Lok Sabha, the Minister told that it will be relooked into. When a Bill is coming, why to leave a gap in that Bill and tell in the House that we shall relook into it? It shows that the Government is not sincere in this matter. I know the Minister. He is a gentleman, a learned man and a

legal expert. We have no doubt about it. But the ideology which he represents, that runs against the basic interests of the SCs/STs and minorities. There lies the fault. I request the Minister to look into the statistics and tell us the number of SCs and STs who are class I and class II officers. MPs and MLAs are not enough. Empowerment means to empower all of them. What is happening to them? All over the country, they are being hunted, killed, put on fire, the women are being raped, and the Government is telling that they are giving ten more years for SCs and STs. Why only ten years? Make it twenty or thirty and tell the people who are deprived that the Government will continue it. The forefathers of the country, those who framed the Constitution, they expected that within 70 years all will be okay here. But things are not the same. Sir, yesterday, the Government came with a big blow to the minorities, a big blow which the country can never forget. And, today, the Government is saying that Anglo-Indians will not have reservation anymore and the SCs and STs will be taken care of.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): All right, now please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: How can one believe this Government? While supporting this Bill, I feel that there is a reservation not only from me, but all the like-minded people will say that they have reservation on this Bill. Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Now, Shri Sanjay Singh.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : धन्यवाद, मान्यवर। आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरी कुछ चिंताएं हैं, जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आप एस.सी./एस.टी. का सदन के अंदर राज्य सभा, लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। इसे और दस साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सांसद, विधायक बनने मात्र से समाज में दलित समाज के प्रति, एस.सी./एस.टी. के प्रति जो नफरत की सोच है, जो दुर्भावना है, क्या उसमें कमी आ रही है? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि किसी और पार्टी का नहीं, कर्णाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ए नारायणस्वामी, चित्रदुर्ग, लोक सभा constituency के सांसद हैं। मैं तारीख भी बता देता हूं कि 17 सितंबर को अखबार में खबर छपी है कि वे अपने ही

संसदीय क्षेत्र के एक गांव में बेघर लोगों के लिए, घर बनाने की स्कीम का उद्घाटन करने गए थे, तो उनको गांव में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा सांसद को, जो दलित समाज से आते हैं, उनको अपने ही संसदीय क्षेत्र के गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। हम लोग दलित समाज को यह कैसी इज्जत दे रहे हैं? हम समाज में पिछड़े, दलित, कुचले लोगों को, शोषित लोगों को कैसी इज्जत दे रहे हैं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आरक्षण दीजिए और उसके साथ-साथ समाज की मानसिकता कैसे बदलेगी, इसको भी सुनिश्चित करने का एक सिस्टम बनाइए। इस पर एक कानून बनाइए कि ऐसा व्यवहार कम से कम जो जनप्रतिनिधि या आम नागरिक भी हैं, उनके साथ आज़ादी के 72-73 साल के बाद... ऐसा सुनने को आता है कि गांव में किसी मिड-डे मिल बनाने वाली महिला...(समय की घंटी)...दलित समाज से है, तो बच्चे खाना खाने से इंकार कर देते हैं, ऐसा सुनने में आता है। अगर सांसद, विधायक, दलित समाज से है, अगर वह किसी फंक्शन में जाता है, तो उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिल रही है।

(3A/SC पर जारी)

SC-RSS/3.55/3A

श्री संजय सिंह (क्रमागत) : ऐसा सुनने में आता है कि सांसद या विधायक अगर दलित समाज से है और वह किसी फंक्शन में जाता है तो उसे बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिल रही है। ऐसा सुनने में आता है कि आज भी जो अधिकारी दलित समाज से हैं, उन्हें उपेक्षित किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : धन्यवाद, संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह : मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। मान्यवर, Anglo-Indians का ज़िक्र आया, वही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कल यहां पर सदन में चर्चा हुई कि जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान - वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार कम क्यों हुई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि Anglo-Indians को हिन्दुस्तान में सम्मान देने में क्या हमसे कोई कमी रह गयी, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी आयी? इसके लिए भी एक कमेटी बनाकर, इसकी जांच कराकर एक रिपोर्ट देश के सामने रखनी चाहिए कि कौन सा ऐसा कारण हो गया कि वे देश छोड़कर चले गए या कौन सा ऐसा कारण हो गया कि उनकी संख्या में कमी आयी, धन्यवाद।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : श्री डी.कुपेन्द्र रेड्डी।

SHRI D. KUPENDRA REDDY (KARNATAKA): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of my party, JDS, I wholeheartedly welcome this Bill. This decision taken for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country is taken in time. I am sure, it will pave the way for further development and progress of the people belonging to the SCs/STs. I would like to say one more thing. So far as Anglo Indians are concerned, I don't know from where the Minister has got the number. Only in White Field area

and Mangaluru, we have more than 2000 to 3000 people belonging to this community in Karnataka alone. I request the Minister to revisit this issue. With this, I conclude. Thank you.

(Ends)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : श्री अमर शंकर साबले।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने और मेरी पार्टी ने मुझे एससी, एसटी के राजनैतिक आरक्षण को दस साल तक बढ़ाने के लिए 'The Constitution (126th Amendment) Bill, 2019' पर बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके और अपनी पार्टी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

महोदय, एससी, एसटी आरक्षण बिल पर बोलने से पहले मैं इस देश के आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज, सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले, संविधान निर्माता महामानव परमपूज्य बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, उनके विकास की बात करने वाले पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पेरियार जी और कांशीराम जी का स्मरण करके उनके प्रति मेरे श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं।

महोदय, लोक सभा में यह बिल पास हुआ है और इस सदन में भी पास होने वाला है। इसको समर्थन देने वाली सभी पार्टियों के सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है।

(3बी-पीआरबी-पर-जारी)

PRB-KGG/3B/4.00

श्री अमर शंकर साबले (क्रमागत) : महोदय, मैं आभार व्यक्त करते हुए, इस संदर्भ में संत कबीर की दो पंक्तियां कहना चाहूंगा -

"कबिरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर,
न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।"

महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि एससी, एसटी आरक्षण के संदर्भ में रूलिंग पार्टी हो या अपोज़िशन पार्टी हो, जिन्होंने इस बिल का समर्थन करने के लिए सहमति बनाई है और इस सहमति के संदर्भ में भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का एक दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूं। इस सहमति से समाज, संगठन और देश कैसे लाभान्वित होता है, इस वज्जी संदेश से मालूम पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध का निवास वज्जी देश में हो रहा था, उस वक्त लिच्छवी देश का राजा बाजू के देश के ऊपर आक्रमण करना चाहता था। आक्रमण करने से पहले भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन हों और उनका मार्गदर्शन मिले, इसलिए वह भगवान गौतम बुद्ध के पास गए थे। उसके पहले भगवान गौतम बुद्ध के करीब के बहुत विश्वासू ज्ञानी भदंत आनंद के साथ उनकी बात हुई, उन्होंने आने का प्रयोजन बताया। भदंत आनंद ने गौतम बुद्ध को यह बात बताई, तो भगवान गौतम बुद्ध ने भदंत आनंद से कुछ वार्तालाप किया, कुछ सवाल-जवाब किए। उसी वार्तालाप को, सवाल-जवाब को भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में वज्जी संदेश नाम से जाना जाता है। वज्जी संदेश क्या है? यह वज्जी संदेश सरल भाषा में कहें, तो समाज, जो संगठन एक साथ बैठता है, किसी विषय पर एक साथ चर्चा करता है, अगर मत-मतांतर है, तो

argument करता है, लेकिन उस बैठक में उठने के पहले सहमति से, एकमत से, हंसी-खुशी से, अगर वह उठता है और जिस समाज और संगठन में बुजुर्गों का मान रखा जाता है और जिस समाज और संगठन में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उस समाज को, उस संगठन को और उस देश को दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है, यह वज्जी संदेश है। अभी यह जो बिल रखा गया है और सहमति से पास होने वाला है, इससे दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि इस देश में एससी, एसटी के हितों के लिए एससी, एसटी के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस देश के सभी राजनैतिक दल और इस देश के सभी नागरिक सजग हैं, उनके समर्थन में काम करने वाले हैं, यह मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा...(समय की घंटी)... और इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। जब मोदी सरकार सत्ता में आने वाली थी, तब मुद्दे उठाए गए थे कि संविधान बदला जाएगा, अनुसूचित जाति, जमाती वर्ग पर अन्याय बढ़ जाएंगे, लेकिन जब मोदी जी सत्तापक्ष में आए, तो उन्होंने कहा कि संविधान इस देश का धर्मग्रंथ है। मेरी सरकार इस भीमस्मृति के आधार पर काम करेगी, अगर इस देश का संविधान डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा होता, तो यह सामान्य आदमी इस देश का प्रधान मंत्री कभी नहीं बनता।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अमर शंकर साबले : सर, बस एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। इस देश में लोक सभा या राज्य सभा हो, यह पार्लियामेंट हो, इस पार्लियामेंट को नमन करके और इस समाज को मेरी सरकार समर्पित है, ऐसी भाषा कहकर मोदी सरकार ने इस समाज के

कल्याण की, सुरक्षा की और आरक्षण की व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश की है। इसलिए मैं मोदी सरकार के इस Constitution (Amendment) Bill, 2019 को समर्थन देता हूं और सबको आह्वाहन करता हूं कि इसको समर्थन दिया जाए।

(समाप्त)

(3C/RPM पर आगे)

SSS-RPM/4.05/3C

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): There is an announcement. Voting on this Bill will take place at 4.30 p.m. So, the leaders of the parties concerned may kindly ensure the presence of their Members who are not here.

श्री शमशेर सिंह दुलो (पंजाब): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसे caste based reservation कहा जाता है। आज़ादी से पहले भी डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में वर्ष 1932 में अपनी एक representation दी थी। उसमें मांग की गई थी कि दलित, सोशल, पिछड़े और पीड़ित समाज के लिए reservation होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत भी वर्ष 1935 में Government of India Act पास हुआ। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Ramsay MacDonald थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उन ब्रिटिश प्राइम

मिनिस्टर को भी एक representation दी और separate electorate की मांग की थी। मुझे याद है, उस समय, पूना पैक्ट के against महात्मा गांधी जी ने अनशन रखा था। महात्मा गांधी जी ने उसमें separate electorate की बजाय एक साझा electorate की मांग की थी। महात्मा गांधी जी की वह बात मानी गई और उनका मौन व्रत तुड़वाया गया। यह reservation आज़ादी के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले भी दी गई थी।

महोदय, मैं कह सकता हूं कि यदि डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यदि इतने पढ़े-लिखे न होते और वे representation नहीं देते और हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीबों, दलितों और पिछड़ों की रहनुमाई नहीं करते, तो शायद आज़ादी के बाद भी हमें reservation नहीं मिलता।

महोदय, reservation देना एक मजबूरी है। अफसोस की बात है कि 70-72 साल की आज़ादी के बाद, बार-बार reservation 10-10 साल के लिए क्यों बढ़ाया जाता रहा है, इसके पीछे क्या है? यह बार-बार सिर्फ 10 साल के लिए ही क्यों बढ़ाया जा रहा है? यहां स्कीम्स बहुत हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम लिया जाता है और जाति के basis पर reservation कई लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जात-पात की देन किन की है? सोसायटी को जात-पात में किसने बांटा? इस मनुवादी सोच को कौन लोग लाए? हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के आदिवासी और वनवासी ही, इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं।

महोदय, इस देश में पिछड़ों और आदिवासियों के साथ सदियों से गुलामों जैसा व्यवहार होता रहा है। हम लोग 70 सालों में इस भेदभाव को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि इसके लिए मानसिकता बदलने की जरूरत है। हम अपनी मानसिकता नहीं बदल पाए। आप देखें कि डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में इन गरीब लोगों का कल्याण तब होगा, जब political तौर पर, social तौर पर, धार्मिक तौर पर और economic तौर पर disparity दूर होगी। जब इस प्रकार का भेदभाव दूर हो जाएगा, तब समझा जाएगा कि इस देश को सही तौर पर आज़ादी मिली है।

महोदय, हमारा देश आज़ाद मुल्क है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी देश के करोड़ों लोगों को गुलामी में रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आज़ादी की हवा भी नहीं लगी। जो लोग interior में रहते हैं, जो लोग गांवों में रहते हैं और जो लोग जंगलों में रहते हैं, उन्हें आज़ादी का कोई benefit नहीं मिला है। इसलिए आप politically देख लें, हमारी छोड़िए, आप अपनी Ministry में देख लीजिए, कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स के मिनिस्टर्स हैं? यहां भी तो disparity है, उन्हें कौन से विभाग दिए गए हैं? Minority का एक मिनिस्टर बैठा है। देश में जितनी संख्या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, उसके अनुपात के हिसाब से, उतने मिनिस्टर भी नहीं बनाए गए हैं और उन्हें डिपार्टमेंट्स भी अच्छे नहीं दिए गए हैं। यह तो सब political है। मैं इस बात को कहने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा कि यह हमारे समय में भी होता रहा है। यह सिर्फ खानापूर्ति है कि SC ST को मंत्री बनाना है। हमारी कम्युनिटी के जजेज कितने हैं? हमारी कम्युनिटी में backlog कितना है और सर्विसेज़ कितनी हैं, इन सभी बातों को देखा

जाना चाहिए। मैं पिछले 50 साल से सियासत में हूं और मिनिस्टर भी रहा हूं और अन्य कई पदों पर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी reservation पूरा नहीं हुआ।

(3 डी/एल पर जारी)

LP-NBR/4.10/3D

श्री शमशेर सिंह दुलो (क्रमागत) : किसी डिपार्टमेंट में कभी रिज़र्वेशन पूरा नहीं हुआ।

जब श्री राजीव गाँधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने सैंटर में बैकलॉक पूरा किया था। उन्होंने यह काम किया था, आपने क्या किया? बहुत बातें होती हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्म शताब्दी मनाई जाती है, उनका नाम लिया जाता है, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी को फॉलो भी करना चाहिए। ..(समय की घंटी)..बार-बार इस रिज़र्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आप socially ही देख लीजिए, सामाजिक तौर पर असमानता है, जात-पात है, बराबर बैठ नहीं सकते हैं। अभी यहाँ एम.पी. की बात कही गई है, कर्णाटक में क्या हुआ? मंदिर की बात कही गई है, लेकिन मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। हमारे बाबू जगजीवन राम जी मंदिर गए थे, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। आपके बनाए हुए राष्ट्रपति जी, पुष्कर महाराज गए, वहाँ उन्हें मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया था। वे सीढ़ियों पर बैठकर आ गए। ऐसी तो आपकी मानसिकता है। आपने कहा कि हमने इस वर्ग का प्रेजिडेंट बना दिया, श्री के.आर.नारायणन को भी प्रेज़िडेंट बनाया था। ये तो प्रेजिडेंट बना देते हैं, लेकिन आप यह बताइए स्टेट्स में शैड्यूल्ड कास्ट वर्ग के चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं?..(व्यवधान)..कोई शैड्यूल्ड कास्ट का चीफ मिनिस्टर नहीं है। प्राइम

मिनिस्टर की बात छोड़िए, उनका नाम ही नहीं लेते हैं कि किसी शैड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उनका कोई भी नाम नहीं लेता है।..(समय की घंटी)..कोई भी पार्टी हो, इनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्हें वोट बैंक के तौर पर यूज़ करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : आप कृपया समाप्त कीजिए। ।

श्री शमशेर सिंह ढुलो : इनको खैरात देते हैं। ..(व्यवधान).. खैरात देते हैं। ..(व्यवधान)..ऐसी मानसिकता है।

एक माननीय सदस्य : आपका टाइम समाप्त हो गया है।

श्री शमशेर सिंह ढुलो : टाइम समाप्त हो गया है।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : श्री रामविलास पासवान जी, आप बोलिए। आप बैठकर बोल सकते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार को, प्रधान मंत्री जी को और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यह जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसमें अगले दस साल के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की विधान सभा और लोक सभा में आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है, इस संबंध में मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से यह विधेयक लोक सभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है, उसी तरीके से यहाँ राज्य सभा में भी पास होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, यह जो आरक्षण का मुद्दा है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो दलित वर्ग के आरक्षण का मामला है या आदिवासी लोगों के आरक्षण का मामला है, उस पर किसी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं रहा है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी हमारे प्रणेता हैं। इनके अतिरिक्त महात्मा फुले जी हैं, पेरियार जी हैं, रामास्वामी नायकर जी भी हैं, जिनका बहुत योगदान रहा है। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहूंगा कि इन लोगों के होने के बावजूद भी इस देश में जो ऊँची जाति के लोग हैं, उनका योगदान भी कम नहीं रहा है।

महोदय, भगवान बुद्ध कोई दलित नहीं थे, पिछड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दयानन्द सरस्वती जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन दयानन्द सरस्वती जी ने जब पाखंडवाद के खिलाफ लड़ने का काम किया, तब उन्हें भी ज़हर पिलाने का काम किया गया था। विवेकानन्द जी जाति से कायस्थ थे, उन्होंने कहा था कि, "अरे ऊँची जाति के लोगों अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो जब वह उठेगा, जो एक फूँक से तुम्हारी ताकत को उठाकर, तुम्हारी शक्ति को फेंक देगा।" श्री वी.पी. सिंह दलित नहीं थे, वे पिछड़ी जाति के भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन के समय अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैं उस समय श्रम कल्याण मंत्री था। मेरे पास एस.सी./एस.टी., ओबीसी, माइनॉरिटी, विमेन, चिल्ड्रन और लेबर डिपार्टमेंट था। मैंने उस 11 महीने में यह कोशिश की कि पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पोर्टेट नहीं था, लेकिन 14 अप्रैल को उनकी तस्वीर लगाई

गई। 1977 में, जब हम जीतकर आए थे, तब हमने पहली बार जब यह विषय उठाया था तो यह कहा गया कि जगह ही नहीं है, लेकिन बाद में सबसे बढ़िया जगह पर उनकी तस्वीर लगाई गई। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई।

(AKG/3E पर जारी)

AKG-USY/3E/4.15

श्री रामविलास पासवान (क्रमागत) : उनको भारत रत्न देने का काम किया। हमारे जो नवबौद्ध साथी हैं, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ धर्म परिवर्तन किया था,

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम किया गया। इसलिए हमने कहा कि इसमें ऊँची जाति के भी लोग हैं। हालाँकि वी.पी. सिंह जी को बहुत गाली सुननी पड़ी। उनकी अपनी जाति के लोगों ने ही उनको नकार दिया। उनकी मृत्यु कैसे हुई, कभी इसके बारे में दो लाइंस पेपर में भी नहीं आईं, लेकिन आगे आने वाला इतिहास हमेशा याद रखेगा। यह जो SC/ST Act है, यह राजीव जी के समय में पास हुआ था, लेकिन जब हम मंत्री बने थे, हमने इसको notify किया। फिर मोदी जी की सरकार में इसको और मजबूत किया गया। फिर जब कोर्ट में इसको dilute करने की कोशिश की गई तो फिर उसके बाद तीन दिन के अन्दर लोक सभा और राज्य सभा से पारित करके SC/ST Act को फिर से बहाल करने का काम किया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हर जाति के लोगों ने लड़ी है। संयुक्त सोशलिस्ट

पार्टी में 1969 में डा. लोहिया थे, मैं उस समय एमएलए बना था, 50 साल पहले। यहाँ राम गोपाल जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी, हम सब लोग संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे। हमारे नेता कौन थे? सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी को छोड़ दीजिए, वे बिहार में पिछड़ी जाति के थे, बाकी सारे के सारे, डा. लोहिया से लेकर मधु लिमये, मामा बालेश्वर दयाल, राज नारायण जी, एस.एम. ज्योति, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, बगैतकर जी, ये जितने लोग थे, ये सारे के सारे ऊँची जाति के लोग थे। हम लोग ट्रेनिंग लेते थे और उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मतलब था - संसोपा, कि

"संसोपा ने बाँधी गाँठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ।
राज-पाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊँची जात।
ऊँची जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम।
छोटी जाति की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान।
अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है।
अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा।
राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान,
बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान।
करखनिया दामों की कीमत, आने खर्च से ड्योढ़ा हो,
अन्न के दाम की घटती-बढ़ती, आने-सेर के भीतर हो।
महँगाई को जो नहीं रोके, वह सरकार निकम्मी है,

जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है।" ...(व्यवधान)...

देखिए, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : यह सबके लिए लागू होता है। ...(व्यवधान)... Unnecessarily आप अपने ऊपर मत लीजिए।

श्री रामविलास पासवान : आप लोग राजनीति क्यों लाते हैं?

श्री सभापति : वही समस्या है न।

श्री रामविलास पासवान : मैं तो वह कह रहा हूँ, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है। अनुसूचित जातियों के लिए कहा गया था कि

"जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत,
जीना है तो मरना सीखो,
कदम कदम पर लड़ना सीखो।
गाँधी लोहिया की अभिलाषा,
चले देश में देसी भाषा।"

ये सारी की सारी चीजें थीं। मैं इसे इसलिए कह रहा था, क्योंकि इसमें कोई जाति की बात नहीं थी। इसमें ऊँची जाति के लोग भी थे, सब लोग थे। दुर्भाग्य से 1977 के बाद से हम लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो गई। हम सत्तापरस्त हो गए, कार्यकर्ता नेता को देखने लगा, कौन पार्टी में है, क्या है, कौन पार्टी पावर में आएगी। जो पढ़ाई थी, वह सारी की सारी पढ़ाई खत्म हो गई। हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि देखो, अमीर-गरीब में झगड़ा हो, तो हमेशा गरीब का साथ दो; औरत-मर्द में झगड़ा हो, तो हमेशा औरत का

साथ दो; बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक में झगड़ा हो, तो हमेशा अल्पसंख्यक का साथ दो; सरकार और जनता के बीच में झगड़ा हो, तो हमेशा जनता का साथ देना चाहिए। हम लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह जो आरक्षण का मुद्दा आया है, असल जो आरक्षण का मुद्दा था, वह तो 24 सितंबर, 1932 का था।

(3एफ/एससीएच पर जारी)

SCH-PK/4.20/3F

श्री रामविलास पासवान (क्रमागत) : उस समय में MacDonald जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक Communal Award दिया था। वह Communal Award था कि जहां अनुसूचित जाति के लोग खड़े होंगे, वहां अनुसूचित जाति के लोगों को ही उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। चूंकि आज आबादी बहुत अधिक है और इसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग केवल 15 प्रतिशत हैं, लेकिन 85 प्रतिशत तो दूसरे लोग हैं। कोई भी शैड्यूल्ड कास्ट का नेता अगर जोर से शैड्यूल्ड कास्ट की बात बोलना शुरू करेगा, तो दूसरी बार वह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए आज सब लोग compromise कर लेते हैं, ताकि सब लोग खुश रहें। इसी को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर अड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि देखो, एक सेक्शन के द्वारा पाकिस्तान की मांग हो रही है, तो हमको भी हमारा अधिकार दो, नहीं तो हम भी अपना अधिकार, अपना राज्य मांगेंगे। उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल, सेंट्रल जेल में आमरण अनशन पर चले गए थे। अंत में जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर बहुत दबाव पड़ा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गांधी जी को

बचाने के लिए मैं समझौता कर रहा हूं। इस तरह आरक्षण का जो मामला है, यह उसी समय में शुरू हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह 26 जनवरी, 1950 को शुरू हुआ, लेकिन इसका बेस वहीं से शुरू हो गया था। आज जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, वे पहले अछूत माने जाते थे। महात्मा गांधी जी ने उन्हें हरिजन कहा, लेकिन हरिजन अनपार्लियामेंटरी शब्द है। साउथ में जो महिलाएं मंदिर में देवदासी होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जिनके बाप का पता नहीं होता है, उनको हरिजन कहा जाता है, इसलिए सब लोगों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बने, लेकिन जो दलित शब्द है, वह oppressed class के लिए है। चूंकि यह बड़ा शब्द था, इसीलिए चल रहा है।

श्री सभापति : रामविलास जी, प्लीज़।

श्री रामविलास पासवान : सर, पांच मिनट दीजिए, हम तो कभी बोलते ही नहीं हैं। यह हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है।

श्री सभापति : मैं मानता हूं कि आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत मेहनत करके यहां तक आए हैं, लेकिन समय का ध्यान रखिए।

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो लड़ाई है, यह सामाजिक लड़ाई है। यह कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह समाज की लड़ाई है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है - सबको न्याय। हमें इस बात की खुशी है कि 1990 में जब हम आए थे, तब से लेकर अब तक अनुसूचित जाति के लिए जो भी हमको करना पड़ा, वह हमने किया। सबसे पहले हमने बाबा साहेब अम्बेडकर से शुरू किया, फिर

मंडल कमीशन को लागू करवाया। मंडल कमीशन के समय में हमारे दिमाग में कभी यह नहीं था कि कोई बैकवर्ड-फॉरवर्ड की बात होगी, चूंकि अपने वी.पी. सिंह जी ऊँची जाति के लोग थे और बाद में इनको बैकवर्ड-फारवर्ड का दर्जा दे दिया गया। बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वे जानते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन की छुट्टी रामविलास पासवान ने 1990 में, वी.पी. सिंह जी के समय में देने का काम किया था। जो SC/ST Commission था, उसको संवैधानिक दर्जा दिलवाया। जो महिला कमिशन था, उसको भी संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। नवबौद्धों को आरक्षण देने का काम किया गया।

महोदय, आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिसमें हम सब लोग हैं। किसको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिव सेना का एक मोर्चा बनेगा? हम इसको बुरा भी नहीं मानते हैं। अब secularism का जमाना गया, communalism का जमाना गया, backward-forward का जमाना गया, अब सीधे-सीधे सबके पास जो मुद्दा है, वह विकास का मुद्दा है। इसी पर सब लोगों को जोर देना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब वी.पी.सिंह जी की सरकार आई, उस सरकार में भी हम लोग रहे हैं। वी.पी. सिंह जी की सरकार ने क्या-क्या काम किया, ये आप सब जानते हैं। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने क्या-क्या काम किया? बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े हुए जो पांच स्थान थे, महू में उनका जन्म हुआ, आप वहां जाकर देखिए, वहां शानदार स्मारक बन गया। 26, अलीपुर रोड के उनके घर में म्यूज़ियम बना दिया गया। इसके बाद लखनऊ में, अमरीका में और इंग्लैंड में जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, वहां उनके मकान को खरीदकर

राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया गया है। मुम्बई के हमारे साथी यहां बैठे हैं, वहां इंदु मिल की जमीन को खरीद कर, उनके लिए देने का काम किया गया है। हम लोग हल्ला नहीं करते हैं। 1992 में श्री के.आर.नारायणन जी उपराष्ट्रपति बने थे, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने में रामविलास पासवान का हाथ रहा है।

(3G/PSV पर जारी)

PSV-PB/3G/4.25

श्री रामविलास पासवान (क्रमागत): जिस समय देवगौड़ा-गुजराल की सरकार थी, हम लोक सभा में लीडर थे। उस समय हमने लड़ कर उनको वाइस प्रेज़िडेंट बनाया। फिर वे प्रेज़िडेंट बने, लेकिन बिना किसी के माँगे हुए आज-- प्रेज़िडेंट की हालाँकि कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आज हमारा जो प्रेज़िडेंट है, एक दलित वर्ग का व्यक्ति है। सभापति जी, हम कभी उसका राजनीतिक फायदा उठाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप से इतना ही कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर साहब ने आज़ादी के बाद कहा था कि देखो, देश की आज़ादी मिल गयी, पोलिटिकल आज़ादी बहुत हद तक, जो अछूत वर्ग के लोग थे, उनको मिल गयी है, लेकिन अभी तक जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है, वह कायम है। यह जो आर्थिक और सामाजिक विषमता कायम रहेगी, तो ये उस वर्ग के लोग हैं, जो किसी दिन सारे स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Right, Ramvilasji.

श्री रामविलास पासवान: सर, सिर्फ दो मिनट।

श्री सभापतिः आपका एक्चुअल टाइम 5 मिनट था, मैंने 11 मिनट समय दिया।

श्री रामविलास पासवानः सर, मुझे तो इन लोगों ने टाइम दिया था। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, कहता था कि बीजेपी का टाइम है।

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल्स हैं, आज ट्राइबल्स की क्या स्थिति है? हम कहते हैं कि आप मच्छर को डीडीटी से मार सकते हैं, लेकिन जब तक गंदे नाले की सफाई नहीं होगी, मच्छरों का पैदा होना बन्द नहीं होगा। तो जो जिसका अधिकार है, वह देने का काम कीजिए। आज मोदी जी हैं। यदि राहुल जी किसी के घर में जाकर खाना खाते हैं, तो क्या दिक्कत है? लेकिन आपको इस बात को भी सोचना चाहिए कि भारत के प्रधान मंत्री कुम्भ मेले में जाते हैं, जहाँ मंदिर-मंदिर की माँग हो रही है, वहाँ से निकलते हैं और सफाई मजदूर के यहाँ जाकर पाँव धोने का काम करते हैं। तो जो अच्छा काम है, उसको appreciate करना चाहिए।

मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत एक बगीचा है। इस बगीचे में हर तरह के फूल हैं। हम चाहते हैं कि सब फूल खिलें। ऊँची जाति के लोगों को ...(व्यवधान)... सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। दलित को आरक्षण मिल गया था, तो पिछड़ी जाति को गुस्सा था, पिछड़ी जाति के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ, तो ऊँची जाति को गुस्सा था, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारत का प्रधान मंत्री, जो अति पिछड़ी जाति का है, उसके हाथों से-- जहाँ वी.पी. सिंह ऊँची जाति के थे, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया, वहीं एक अति पिछड़ी जाति के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ऊँची जाति के गरीब लोगों के लिए 10 परसेंट आरक्षण लागू किया है। यही

सामाजिक समरसता है। हम लोग पार्लियामेंट में हैं। बाहर जाते हैं, सब भाई हैं। यहाँ अपना political मामला है, चलता रहता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो सामाजिक न्याय का मामला है, उसमें सब लोग योगदान कीजिए। जब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं आयेगा-- यह पोलिटिकल आरक्षण तो हो गया है। जो चार क्रांतियाँ हैं- सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और पोलिटिकल क्रांति। एक पर हम पहुँच गये हैं, अब तीनों को हासिल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रधान मंत्री जी को, अपने भाई रवि शंकर प्रसाद जी को, राज्य सभा में हमारे नेता थावरचन्द गहलोत जी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनको और सब साथियों को, सभी दलों के लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आग्रह करूँगा कि जब अनुसूचित जाति-जनजाति की atrocities का मामला आये, अधिकार का मामला आये, तो हम लोग राजनीति से ऊपर उठ कर उसकी समस्या का समाधान करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, सर।

(समाप्त)

श्री सभापतिः धन्यवाद। Shri Banda Prakash; two minutes. इसके बाद Leader of the Opposition बोलेंगे।

DR. BANDA PRAKASH (TELANGANA): Respected Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Bill.

Sir, on behalf of our Party and on my own behalf, I support 'The Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Bill, 2019' for

providing reservation for ten years. But we wanted to get some clarifications. For how long will we maintain this '10 years' '10 years' '10 years'? Is there any study from the Government side as to what is the status of the SC/STs in the Judiciary or higher education institutions or anywhere? What is their status? For how long we have to continue this reservation? What is the time-frame? As on today, no study has been made. The hon. Minister has presented this Bill today.

(Contd. by 2h/SKC)

BKS/SKC/3H/4.30

DR. BANDA PRAKASH (contd.): Take the case of the Supreme Court. How many people from the SC and ST categories are posted at higher levels in the judiciary? How many such people are there in the High Court? Till today, 100 per cent reservation has not been implemented even at the lower levels. Even the last time, in some other instance, I had said that in IIMs and IITs, representation of SCs and STs was very nominal. There was none on the faculty side. There are not even one or two per cent of STs. Even SCs don't find proper representation, or opportunities, in the present scheme of things. Before coming to the Parliament, I had asked the Minister as to why it was ten years and why it can't be made 25 years of reservation for SCs

and STs. We have been, time and again, bringing Constitution Amendment Bills. How many times would we go in for Constitution Amendment Bills without studying the facts at the ground, without looking at the lower and higher levels of education? Even if steps are initiated to clear this backlog, how many years would it take to create employment and clear the backlog in the judiciary? What is the time-frame? That should also have been indicated while presenting the Bill. It is not mentioned even in the Statement of Objects and Reasons as to in how many years they wanted to bring this Bill. What are the reasons for this? Before bringing such Bills, there should be a complete study of the Bill and then bring it to the House.

Sir, I would also like to know why no reservations have been made for the Anglo-Indian community. Do we have any data with us? Do we have State-wise statistics to support this decision? Why do you want to discontinue the existing system? That too needs to be clarified by the hon. Minister.

Sir, even with these limitations, we support the Bill.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Shri Pradeep Tamta, you may take two minutes as I would be calling the LoP.

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, मैं उनको नमन करते हुए प्रणाम करना चाहता हूं। मैं इस हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 26 नवम्बर को हमने संविधान दिवस मनाया, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनायेंगे। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। इस पूरे देश के दलित डा. अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं और हजारों वर्षों तक, आगे तक जब तक असमानता रहेगी, अन्याय और जुल्म इस देश और दुनिया में रहेगा, डा.अम्बेडकर को लोग याद करेंगे। लेकिन मैं इस भरी सभा में आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, एक से एक विद्वान थे, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ अर्पित किया था। कानून के ज्ञाता थे, देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया था। उस समय गांधी जी और कांग्रेसी ही थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डा. अम्बेडकर को चार्ज दिया। आज हम सब लोग डा.अम्बेडकर को इस देश का, दलितों का और मानवता का उद्धारक मानते हैं, यह कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस के पास, दलितों के पास कोई भगवान नहीं था, लेकिन आपके पास भगवानों की लाइन है, राम हैं, कृष्ण हैं और अन्य कितने भगवान हैं। लेकिन जिन दलितों के पास कोई मुक्ति का नायक नहीं था, वह नायक कांग्रेस ने दलितों को दिया, पीड़ित मानवता को दिया।

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलितों के ऊपर इतनी एट्रोसिटीज़ होती हैं। इस एट्रोसिटी एक्ट के लिए मैं पूर्व प्रधान मंत्री, स्व. श्री राजीव गांधी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनकी हम 75वीं जयंती मना रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं, दलितों,

पिछड़ों को जो अधिकार मिला, वह स्व.श्री राजीव गांधी की देन थी। वह स्व.राजीव गांधी ही थे, जब इस देश के अंदर दलितों के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता थी और उस एट्रोसिटीज़ एक्ट, एस.सी.,एस.टी. एक्ट को स्व. राजीव गांधी ने इस देश में बनाया था।

महोदय, भारत के बहुत मशहूर कानूनविद् श्री उपेन्द्र बख्शी जी ने कहा था कि यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कानून है तो यह कांग्रेस की देन थी।

(3J/VNK पर आगे)

VNK-HK/3J/4.35

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़।

श्री प्रदीप टम्टा : सर, एक मिनट और दे दीजिए।

श्री सभापति : ठीक है, बोलिए।

श्री प्रदीप टम्टा : सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब यूपीए-II की सरकार थी, तब राजीव गाँधी जी द्वारा लाए गए उसी कानून को और मजबूत बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, लेकिन यह मोदी सरकार ही थी, जिसने सारे ऑर्डिनेंसेज़ को नए सिरे से जारी किया, लेकिन सिर्फ यही ऑर्डिनेंस था, जिसको नए सिरे से जारी नहीं किया गया। यह आपकी दलितों के प्रति कमिटमेंट है।

महोदय, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, प्लीज़। आप विषय पर आइए न, उत्तराखंड पर क्यों जा रहे हैं?

श्री प्रदीप टम्टा : सर, मैं तीस सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

श्री सभापति : मैंने आपको तीस सेकंड दिये, लेकिन आप विषय पर आइए, क्योंकि उत्तराखंड के विषय में बताने में समय लगेगा।

श्री प्रदीप टम्टा : सर, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण दे दो, वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण दे दो, लेकिन उत्तराखंड की सरकार इस देश की सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध है कि अगर दलितों के प्रति हमदर्दी है, तो मोदी सरकार यह कहे कि हम पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार देंगे। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हमारे ऊपर economic ceiling कभी लागू ही नहीं होती थी...(व्यवधान)...

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़।

श्री प्रदीप टम्टा : विधान सभा में जो बिल पड़ा हुआ है, उसको संसद में लाया जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधी कानून बनाया जाए।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: I would like to tell everybody that immediately after the Minister's reply, voting will start. This is the decision. There is no question of changing it.

SHRI VAIKO: Sir, I need two minutes after him. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You have not given your name.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : सभापति महोदय,

"आज मेरा खुश हुआ है दिल, क्योंकि एससी, एसटी रिज़र्वेशन का पास हो रहा बिल।
रवि शंकर प्रसाद जी और हम सब मिल कर मोदी सरकार का मजबूत कर रहे हैं wheel,
'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास', यही है हमारी डील।"

महोदय, आज बहुत ही क्रांतिकारी दिवस है, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में Scheduled Castes and Scheduled Tribes के लिए रिज़र्वेशन देने का निर्णय ले लिया था, 15 परसेंट आरक्षण Scheduled Castes के लिए और 7.5 परसेंट आरक्षण आदिवासियों के लिए तथा लोक सभा तथा विधान सभाओं में इन वर्गों के लिए सीट रिज़र्व रखने का निर्णय हुआ था, इसलिए इन वर्गों के बहुत सारे एमपीज़ लोक सभा में चुन कर आते हैं और एमएलएज़ विधान सभाओं में चुन कर आते हैं। इसी तरह से राज्य सभा और विधान परिषद् में भी रिज़र्वेशन होना चाहिए, बहुत सालों से इस तरह की माँग है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में भी रिज़र्वेशन होना चाहिए। Population के मुताबिक रिज़र्वेशन होना चाहिए।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, I associate.

MR. CHAIRMAN: You will not get an opportunity here. You can raise it in Bengal.

श्री रामदास अठावले : सभापति महोदय, 1950 में Scheduled Castes की जो population 15 परसेंट थी, वह अभी 16.4 परसेंट हो गयी है और एसटी की जो

population 7.5 परसेंट थी, वह अभी 8.6 परसेंट हो गयी है, इसलिए इसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। अगर उस समय population के मुताबिक रिज़र्वेशन रखा गया था, तो उस समय दोनों को मिला कर 22.5 परसेंट population थी और दोनों को मिला कर रिज़र्वेशन भी 22.5 परसेंट था, लेकिन अब population 25 परसेंट हो गयी है, इसलिए उनके लिए रिज़र्वेशन भी 25 परसेंट करने की आवश्यकता है। लोक सभा में दो सीट्स Anglo Indians के लिए होती हैं और 543 सीट्स इलेक्टेड होती हैं। अभी इधर Anglo Indians हैं ही नहीं, कहने का मतलब यह है कि इधर सब इंडियन्स हैं, Anglo Indians कहाँ से लाएंगे? कहने का मतलब यह है कि इधर Anglo Indians ज्यादा नहीं हैं, इसलिए इस बिल में, उनके लिए जो दो सीट्स रखी गयी थीं, उनको रद्द करने का प्रावधान है।

महोदय, मेरी माँग यह है कि जो सिन्धी समाज है, जो सिन्ध प्रांत से भारत में आया था, उनके लिए सीट्स रिज़र्व करनी चाहिए। रवि शंकर जी, चूँकि यहाँ पर लाखों, करोड़ों की संख्या में सिन्धी समाज के लोग हैं, इसलिए आपको सिन्धी समाज के लिए दो सीट्स रिज़र्व करने के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। सिन्धी समाज अपना ही समाज है। हम सब हिन्दी हैं, वे सब सिन्धी हैं। मेरी यह माँग है कि उनको भी रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि अभी यह रिज़र्वेशन और दस-साल के लिए बढ़ रहा है और इस रिज़र्वेशन को बढ़ाने का प्रावधान संविधान में है। इसके विपरीत शिक्षा और नौकरियों में रिज़र्वेशन के लिए दस साल का प्रावधान नहीं है यानी इसमें कोई समय-सीमा नहीं है। जब तब दलितों पर अत्याचार होता रहेगा, जब

तक जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक यह रहेगा। जब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तब हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। समाज में अच्छा परिवर्तन हो भी रहा है, जोड़ने का काम भी हो रहा है। मोदी जी संविधान बदलेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन अपोज़िशन को खत्म करने की हमारी कोशिश है।

(3K/RK-DPS पर जारी)

RK-DPS/4.40/3K

श्री रामदास अठावले (क्रमागत) : लोकतंत्र में हमें ज्यादा सीटें चुनकर लाने का अधिकार है। इस बार 303 सीटें आई थीं, एनडीए की 353 सीटें आई थीं, अगली बार हमारी 400 से ऊपर सीटें आएंगी और सीटें बढ़ती जाएंगी और कॉंग्रेस की सीटें कम होती जाएंगी। यह ठीक बात है कि आप भी कोशिश करो, लेकिन जब तक मैं इनके साथ हूँ, तब तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Right, Ramdas*ji*.

श्री रामदास अठावले : जब मैं आपके साथ था, तब आपकी गाड़ी अच्छी चलती थी, लेकिन मैं उधर चला गया, तो एक चक्का गिर गया और गाड़ी आगे नहीं चल रही है। मुझे लगता है कि यह बिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार संविधान को बचाने वाली है, हमारी सरकार संविधान की सुरक्षा करने वाली है और मोदी जी यहाँ संविधान को मजबूत करने के लिए आए हैं। संविधान को बिल्कुल खतरा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। (समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Now, LoP. ...(Interruptions)...

SHRI VAIKO: Sir, I am asking for only two minutes....(Interruptions)... I will confine myself to two minutes.

MR. CHAIRMAN: Hon. LoP, I have called you. ...(Interruptions)... You speak.

विपक्ष के नेता ~~विरोधी दल~~ (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : सर, रिज़र्वेशन का concept 1935 से शुरू हुआ। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में बना और provinces के लिए ज्यादा self-rule की बात हुई, एक federal structure की बात हुई, तब उसी वक्त रिज़र्वेशन ऑफ सीट्स की बात हुई, जो कि 1937 से लागू हुआ, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद Constitution Assembly में देश के सभी विद्वानों ने यह सोचा कि हमारे मुल्क का एक वर्ग ऐसा है, जो हजारों सालों से पिछड़ा हुआ है। चाहे यहाँ किसी भी ruler का शासन रहा है, बाहर वाले बादशाहों का, अंग्रेजों का, मुगलों का या उससे पहले किसी का शासन रहा हो, लेकिन यह एक सेक्शन शोषित रहा। इनको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर किस तरह से दूसरे समाज के वर्गों के बराबर किया जाए, इस वजह से ही इनके लिए संविधान में रिज़र्वेशन रखा गया। न सिर्फ विधान सभाओं और पार्लियामेंट में, बल्कि सर्विसेज़ में भी रिज़र्वेशन रखा गया। आगे चलकर हर सरकार ने यह प्रयास किया कि इनके उत्थान के लिए, एससी-एसटी के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उनको गरीबी की रेखा से ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने के लिए, बाहर निकालने के लिए काम किया जाए और

इस तरह से protective arrangement, affirmative action, जिसमें रिज़र्वेशन आता है and development, इन तीनों पर काम चल रहा था, लेकिन इन तीनों पर काम होने के बावजूद भी -- मुझे बहुत अफसोस होता है कि आजादी के 70-72 साल बाद और Constitution के 70 साल बाद, आज भी देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई सख्त कानून बनाने की और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन में देरी होती है। कानून बने हैं, लेकिन सिर्फ कानून ही काफी नहीं होता है, एक्शन जरूरी होता है, मैसेज देने की जरूरत होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे ये तमाम चीज़ें उनको मिली हैं, लेकिन दलित आज भी पीड़ित हैं, वे आज भी प्रोटेक्शन चाहते हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि जहाँ कहीं भी कोई घटना हो, चाहे उसे जलाने की घटना हो, बलात्कार की घटना हो, मारने-पीटने की घटना हो, तो कानून को उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए।

सर, दूसरा मेरा सरकार से निवेदन होगा कि Scheduled Castes and Scheduled Tribes Sub-Plan बना था, इसमें जो पैसा घट रहा है, इसका बुरा असर डेवलपमेंट पर पड़ रहा है, इसलिए जो भी backlog है, आने वाले समय में उसे पूरा कर देना चाहिए और उनकी संख्या के हिसाब से उनका जो भी पैसा बनता है, उन्हें मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज फिर दोबारा, जैसे हर दस साल के बाद सभी राजनीतिक दल, अपनी राजनीति से ऊपर उठकर इसे दस-दस साल के लिए बढ़ाते हैं, आज भी हम और हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है, पूरा विपक्ष समर्थन करता है कि रिज़र्वेशन को और बढ़ाया जाए। (3एल/डीएस पर जारी)

DS-KSK/4.45/3L

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : जहाँ मुझे इतनी खुशी है कि इस एससी-एसटी रिज़र्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, उतना ही मुझे अफसोस है कि कांस्टिट्यूशन में एक और प्रोविज़न एंग्लो-इंडियंस के लिए था, उनके लिए पार्लियामेंट में रिज़र्वेशन था, उनके लिए लोक सभा में दो सीटें थीं और इसके अलावा 14 विधान सभाओं में भी उनके लिए रिज़र्वेशन था, उसको खत्म किया जा रहा है। यह कितना अन्याय है कि हम एक ही बिल में एक रिज़र्वेशन को तो 10 साल के लिए बढ़ा रहे हैं और दूसरी minority, बिल्कुल miniscule minority, जो न होने के बराबर है, उसकी रिज़र्वेशन विधान सभा में खत्म कर रहे हैं!

माननीय चेयरमैन सर, सन् 1980 से 1999 के दौरान मुझे लोक सभा में Frank Anthony*ji* का भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। Frank Anthony*ji* सन् 1942 से लेकर 1946 तक Central Legislative Assembly के मेम्बर रहे, बाद में वे Constituent Assembly के मेम्बर रहे। उसके बाद, वे पहली लोक सभा, यानी सन् 1952 से लेकर 10वीं लोक सभा तक के मेम्बर रहे। वे सिर्फ छठी और नौवीं लोक सभा में नहीं रहे, लेकिन बाकी लोक सभाओं में रहे। उनके भाषणों को सुनकर लगता था कि वे कितने विद्वान थे। वे बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़े हुए थे और वे सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं बोलते थे, बल्कि पूरे देश के लिए बोलते थे। इस समुदाय में ऐसे लोग रहे हैं और आज हम उनका रिज़र्वेशन खत्म कर रहे हैं! सर, मैं एक मिनट और लूँगा।

सर, किसी भी इंसान को, विशेष तौर पर भारत जैसे देश में, जहाँ विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियाँ हैं, तीन चीज़ें चाहिए। उसे आर्थिक प्रोटेक्शन चाहिए, सामाजिक प्रोटेक्शन चाहिए, जैसा कि हमने दलितों के लिए कानून बनाया है, उसको बढ़ा रहे हैं और दूसरा, उसे political empowerment चाहिए। शायद, उस साइड के लोगों को political empowerment की कभी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ या जिस धर्म से मैं आता हूँ, उसके लिए छः साल से political empowerment खत्म हो गई है। भारत के इतिहास में यह पहली दफा होगा कि रूलिंग पार्टी के 545 एमपीज़ में से एक भी minority का हो, क्योंकि कोई टिकट ही नहीं दिया जाता है, जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साढ़े पाँच सौ! यूपी में तो मैं सबकी empowerment की बात करता हूँ। ...(व्यवधान)... कभी-कभी सच सुनने की भी आदत होनी चाहिए। मैं कोई ऐसा unparliamentary word नहीं बोल रहा हूँ, यह दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। इसमें कौन-सा अकथ्य है? उत्तर प्रदेश, जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, जहाँ विधान सभा की 404 सीटें हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी एक को भी टिकट नहीं देता। मैं यह दर्द जान सकता हूँ। इसलिए मैंने पहले कहा कि यह दर्द आप नहीं जानेंगे, मैं जानूँगा, क्योंकि political empowerment...(Interruptions)...

قائد حزب اختلاف (**جناب غلام نبی آزاد**) : سر، رزرویشن کا کنسیپٹ 1935 سے شروع ہوا۔ جب گورنمینٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935 میں بنا اور پرووِنسز کے لئے زیادہ سیلف-رول کی بات ہوئی، ایک فیڈرل اسٹرکچر کی بات ہوئی، تب اسی وقت رزرویشن آف سیٹس کی بات ہوئی، جو کہ 1937 سے لاگو ہوا، لیکن آزاد ہونے کے بعد کانسٹی ٹیوشن اسمبلی میں دیش

† [Transliteration in Urdu Script.]

کے سبھی ودوانوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ملک کا ایک طبقہ ایسا ہے، جو ہزاروں سالوں سے پچھڑا ہوا ہے۔ چاہے یہاں کسی بھی رولر کا شاسن رہا ہے، باہر والے بادشاہوں کا، انگریزوں کا، مغلوں کا یا اس سے پہلے کسی کا شاسن رہا ہے، لیکن یہ ایک سیکشن شوشت رہا۔ ان کو آرتھک طور پر، سماجک طور پر اور راجنیتک طور پر کسی طرح سے دوسرے سماج کے طبقوں کے برابر کیا جائے، اس وجہ سے ہی ان کے لئے سنودھان میں رزرویشن رکھا گیا۔ نہ صرف ودھان سبھاؤں اور پارلیمنٹ میں، بلکہ سروسز میں بھی رزرویشن رکھا گیا۔ آگے چل کر ہر سرکار نے یہ کوشش کی کہ ان کے اتّھا کے لئے، ایس۔سی۔-ایس۔ٹی۔ کے اتّھان کے لئے، ڈیولپمینٹ کے لئے، وکاس کے لئے، ان کو غریبی کی ریکھا سے زیادہ سے زیادہ اوپر اٹھانے کے لئے، باہر نکالنے کے لئے کام کیا جائے اور اس طرح سے protective arrangement, affirmative action, جس میں یہ رزرویشن آتا ہے اور ڈیولپمینٹ، ان تینوں پر کام چل رہا تھا، لیکن ان تینوں پر کام ہونے کے باوجود بھی – مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آزادی کے ستّر-بہتّر سال بعد اور کانسٹی ٹیوشن کے ستّر سال بعد، آج بھی دیش میں بہت ساری گھٹنائیں ہوتی ہیں، اس لئے کوئی سخت قانون بنانے کی اور فورا ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ایکشن میں دیری ہوتی ہے۔ قانون بنے ہیں، لیکن صرف قانون ہی کافی نہیں ہوتا ہے، ایکشن ضروری ہوتا ہے، میسیج دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے یہ تمام چیزیں ان کو ملی ہیں، لیکن دلت آج بھی پیڑت ہیں، وہ آج بھی پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ میں سرکار سے یہی نویدن کروں گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی گھٹنا ہو، چاہے اسے جلانے کی گھٹنا ہو، بلاتکار کی گھٹنا ہو، مارنے پیٹنے کی گھٹنا ہو، تو قانون کو اس پر فوری طور پر کاروائی کرنی چاہئے۔

سر، دوسرا میرا سرکار سے نویدن ہوگا کہ شیڈول کاسٹس اور شیڈول ٹرائبس سب-پلان بنا تھا، اس میں جو پیسہ گھٹ رہا ہے، اس کا برا اثر ڈیولپمینٹ پر پڑ رہا ہے، اس

لئے جو بھی بیک-لوگ ہے، آنے والے وقت میں اسے پورا کر دینا چاہئے اور ان کی تعداد کے حساب سے ان کا جو بھی پیسہ بنتا ہے، انہیں ملنا چاہئے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج پھر دوبارہ، جیسے ہر دس سال کے بعد سبھی راجنیتک دل، اپنی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر اسے دس-دس سال کے لئے بڑھاتے ہیں، آج بھی ہم اور ہماری پارٹی پورا سمرتھن کرتی ہے، پورا وپکش کرتا ہے کہ رزرویشن کو اور بڑھایا جائے۔ جہاں مجھے اتنی خوشی ہے کہ اس ایس-سی-ایس-ٹی- رزرویشن کو دس سال کے لئے بڑھایا جا رہا ہے، اتنا ہی مجھے افسوس ہے کہ کانسٹی ٹیوشن میں ایک اور پروویژن اینگلو-انڈینس کے لئے تھا، ان کے لئے پارلیمنٹ میں رزرویشن تھا، ان کے لئے لوک سبھا میں دو سیٹیں تھیں اور اس کے علاوہ چودہ ودھان سبھاؤں میں بھی ان کے لئے رزرویشن تھا، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی ناانصافی ہے کہ ہم ایک ہی بل میں ایک رزرویشن کو تو تو دس سال کے لئے بڑھا رہے ہیں اور دوسری مائنارٹی، بالکل miniscule minority, جو نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا رزرویشن ودھان سبھا میں ختم کر رہے ہیں۔

مانئے چیئرمین سر، سن 1980 سے 1999 کے دوران مجھے لوک سبھا میں فرینک اینتھونی جی کا بھاشن سننے کا سوبھاگیہ حاصل ہوا ہے۔ فرینک اینتھونی جی سن 1942 سے 1946 تک سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر رہے، بعد میں وہ کانسٹی ٹیوشن اسمبلی کے ممبر رہے۔ اس کے بعد، وہ پہلی لوک سبھا، یعنی سن 1952 سے لے کر دسویں لوک سبھا تک کے ممبر رہے۔ وہ صرف چھٹی اور نویں لوک سبھا میں ممبر نہیں ہے، لیکن باقی لوگ سبھاؤں میں رہے۔ ان کے بھاشنوں کو سن کر لگتا تھا کہ وہ کتنے ودوان تھے۔ وہ بیرسٹر تھے، لندن سے پڑھے ہوئے تھے اور وہ صرف ایک سموادائے کے لئے نہیں بولتے تھے، بلکہ پورے دیش کے لئے بولتے تھے۔ اس سموادائے میں ایسے لوگ رہے ہیں اور آج ہم ان کا رزرویشن ختم کر رہے ہیں۔ سر، میں ایک منٹ اور لونگا۔

سر، کسی بھی انسان کو، خاص طور پر بھارت جیسے دیش میں، جہاں مختلف دھرم ہیں، مختلف ذاتیں ہیں، تین چیزیں چاہئں۔ اسے آرتھک پروٹیکشن چاہئے، سماجک پروٹیکشن چاہئے، جیسا کہ ہم نے دلتوں کے لئے قانون بنایا ہے، اس کو بڑھا رہے ہیں اور دوسرا، اسے پولیٹکل امپاورمینٹ چاہئے۔ شاید، اس سائڈ کے لوگوں کو پولیٹکل امپاورمینٹ کی کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے، لیکن جس کمیونٹی سے میں آتا ہوں یا جس دھرم سے میں آتا ہوں، اس کے لئے چھہ سال سے پولیٹکل امپاورمینٹ ختم ہو گئی ہے۔ بھارت کے اتہاس میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ رولنگ پارٹی کے 545 ایم‌پیز۔ میں سے ایک بھی مائنارٹی کا ہو، کیوں کہ کوئی ٹکٹ ہی نہیں دیا جاتا ہے، جیتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساڑھے پانچ سو! یوپی۔ میں تو میں سب کی امپاورمینٹ کی بات کرتا ہوں ۔۔(مداخلت)۔۔۔ کبھی کبھی سچ سننے کی بھی عادت ہونی چاہئے۔ میں کوئی ایسا unparliamentary word نہیں بول رہا ہوں یہ دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس میں کون سا اکتھنے ہے؟ اتر پردیش، جو دیش کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، جہاں ودھان سبھا کی 404 سیٹیں ہیں، لیکن رولنگ پارٹی ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیتی۔ میں یہ درد جان سکتا ہوں۔ اس لئے میں نے پہلے کہا کہ یہ درد آپ نہیں جانیں گے، میں جانوں گا، کیوں کہ پولیٹکل امپاورمینٹ ۔۔(مداخلت)۔۔۔

SHRI RAKESH SINHA: Sir, this cannot be the topic for...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I am here. ...(Interruptions)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, political empowerment हर कम्युनिटी के लिए, हर धर्म के लिए जरूरी है। यही देखते हुए कि यह जो कम्युनिटी थी, जिनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, वे धर्म की बुनियाद पर जीत जाते, इसीलिए इनके लिए रिज़र्वेशन

रखी गई थी। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से निवेदन करूँगा कि यह जो एंग्लो-इंडियन की रिज़र्वेशन है, यह लोक सभा और विधान सभा में रखी जाए। इन्होंने Fifties के बीच में एक दिशा दी थी। अगर किसी ने empowerment of women के लिए कोई काम किया है, तो वह Anglo-Indian women ने किया है। इस समुदाय से बहुत ज्यादा संख्या में औरतें निकलीं और उन्होंने औरतों के लिए काम शुरू कर दिया।

इसके साथ ही, मैं आखिर में बताना चाहूँगा कि इसके साथ-साथ women के लिए भी कम से कम 33 परसेंट रिज़र्वेशन का बिल लाना चाहिए और women को भी रिज़र्वेशन देना चाहिए। Anglo-Indian ...(Interruptions)... आप डरिए नहीं, मैं मुसलमानों का रिज़र्वेशन नहीं माँग रहा हूँ। Anglo-Indian और SC के लिए रिज़र्वेशन होना चाहिए। आप आज ही लाइए और हम आज ही पास करेंगे।

(समाप्त)

جناب غلام نبی آزاد : سر، ہم پولیٹکل امپاورمینٹ ہر کمیونٹی کے لئے، ہر دھرم کے لئے ضروری ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے کہ یہ جو کمیونٹی تھی، جن کی اتنی پاپولیشن نہیں تھی، وہ دھرم کی بنیاد پر جیت جاتے، اسی لئے ان کے لئے رزرویشن رکھی گئی تھی۔ میں مانئیے منتری جی اور سرکار سے نویدن کروں گا کہ یہ جو اینگلو-انڈین کی رزرویشن ہے، یہ لوک سبھا اور ودھان سبھا میں رکھی جائے۔ انہوں نے ففٹیز کے بیچ میں ایک دشا دی تھی۔ اگر کسی نے امپاورمینٹ آف وومین کے لئے کوئی کام کیا ہے، تو وہ اینگلو انڈین وومین نے کیا ہے۔ اس سموداۓ سے بہت زیادہ تعداد میں عورتیں نکلیں اور انہوں نے عورتوں کے لئے کام شروع کر دیا۔

اس کے ساتھہ ہی، میں آخر میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے ساتھہ ساتھہ وومین کے لئے بھی کم سے کم 33 فیصد رزرویشن کا بل لانا چاہئے اور وومین کو بھی رزرویشن دینا چاہئے۔ اینگلو انڈین ---(مداخلت)--- آپ ڈرئیے نہیں۔ میں مسلمانوں کا رزرویشن نہیں مانگ رہا ہوں۔ اینگلو انڈین اور ایس-سی۔ کے لئے رزرویشن ہونا چاہئے۔ آپ آج ہی لائیے اور ہم آج ہی پاس کریں گے۔ (ختم شد)

SHRI VAIKO (TAMIL NADU): Sir, I wholeheartedly support the agonised sentiments...(Interruptions)...expressed for the Anglo-Indian community, against whom an injustice has been done in this Bill.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mr. Vaiko. Now, the Leader of the House.

(Followed by 3M - DPK)

DPK-MZ/3M/4.50

SHRI VAIKO: Sir, I wholeheartedly support the organized sentiments of Shri Derek O'Brien about the Anglo Indian community on whom injustice has been done in this Bill.

(Ends)

सभा के नेता

~~सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री~~ **(श्री थावरचन्द गहलोत)** : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो

एस.सी./एस.टी. सब-प्लान की बात कही है, कल्याण योजना की बात कही है, नियम यह है कि आबादी के मान से उसका आवंटन करना चाहिए, उसका आवंटन 29 विभागों में होता है। महोदय, मैं खुशी के साथ कहता हूं कि हमने इन 5 सालों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में किए हैं, वहीं इस योजना में यूपीए के समय में, गुलाम नबी आज़ाद साहब आंकड़े देख लें कि कभी 30-32 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान नहीं हुआ, जो 9-10 परसेंट से ज्यादा नहीं था। हमने उसको बढ़ा कर एक साल में 50 हज़ार करोड़ रुपये किया, दूसरे साल में 56 हज़ार करोड़ रुपये किया और इस बार 76 हज़ार कारोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में है, जो 22 प्रतिशत होता है।...(व्यवधान)... उनके समय में 9-10 परसेंट से ज्यादा कभी नहीं हुआ, इस बार 22 परसेंट धनराशि है। मैं यह स्पष्टीकरण देने के लिए ही खड़ा हुआ हूं, ताकि देश की जनता को इस सदन के माध्यम से पता लगे कि इस सरकार ने क्या किया।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, nothing will go on record and it will be added to your record because you are not following the rules. आप सबने बहुत अच्छा बोला, इन लोगों ने भी बोला।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर जितने सम्मानित सदस्यों ने टिप्पणी की है, मैं उन सबका अभिनन्दन करता हूं, सब ने समर्थन किया है, एक चीज़ पर विरोध किया है, मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री सभापति : प्लीज़ शांति बनाए रखें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं समय की कमी के कारण सब के नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री सभापति : उसकी ज़रूरत नहीं है।

विधि और न्यायमंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। माननीय पुनिया जी ने बात शुरू की, किरोड़ी लाल मीणा जी बोले, माननीय रामविलास जी बोले, गुलाम नबी जी बोले और बाकी लोगों ने अपनी बात बोली। महोदय, जब रामविलास जी अपनी बात कह रहे थे, वे हमारे प्रदेश के हैं, मैं उनको बहुत समय से जानता हूं। वे वर्ष 1969 में पहली बार एमएलए बने थे, जब वे सिर्फ 25 साल के थे और तब से आज तक कितनी बार एमपी बने, लेकिन अगर इस संवैधानिक आरक्षण की वर्तमान राजनीति में किसी सार्थक बिम्ब को देखना है तो रामविलास जी को देखना चाहिए। वे बड़े नेता भी बने और विस्तार से अपनी आवाज़ को भी बुलंद किया है। मेरा सौभाग्य था कि पहली बार मुझे उन्हीं के साथ अटल जी की सरकार में राज्य मंत्री बनने का अवसर मिला था।

महोदय, अम्बेडकर जी की बहुत चर्चा की गई। हाल में मैंने डॉ. अम्बेडकर जी को बहुत पढ़ने की कोशिश की है और मैं उनको जितना पढ़ता हूं, उनके प्रति मेरा आदर उतना ही बढ़ता है। उनका एक बहुत अच्छा pamphlet है, no peon, no water. वे मुम्बई के स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर बाकी लोगों के लिए तो घड़ा और नल था, किंतु इस समाज के बच्चों को एक साथ बैठाया जाता था और दिन में दो बार एक चपरासी इन लोगों को पानी पिलाता था, क्योंकि उनको घड़े से पानी लेकर पीना allowed नहीं था। एक दिन वह चपरासी छुट्टी पर था, उन्होंने लिखा no peon, no water. वे प्यासे रह

गए। इतनी पीड़ा, इतना deprivation, फिर भी दिल में संकल्प यह था कि मुझे संवैधानिक माध्यम से भारत को बदलना है। यह डॉ. अम्बेडकर का सबसे बड़ा contribution है। उधर से जो कहा गया है, मैं फिर कहूंगा कि वे उस वर्ग के थे, यह एक सच्चाई है, लेकिन उनको Drafting Committee का Chairman इसलिए बनाया गया कि वे उस समय संविधान के सबसे बड़े विद्वान थे, यह मानना पड़ेगा he did his Ph.D. from Columbia on Governance, on Constitution. महोदय, उनकी बहुत चर्चा की गई है, मैं अतीत में नहीं जाऊंगा, हमारी सरकार ने जैसा बताया, उनको पांच तीर्थ में अपडेट किया, लगभग दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ में Ambedkar Chair की स्थापना की, Ambedkar Memorial Lecture शुरू किया, जिसका पहला भाषण माननीय मोदी जी ने दिया। इस देश को एक नए तरीके से अम्बेडकर को समझने की ज़रूरत है कि अधिकार और सामाजिक न्याय, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा।

महोदय, डॉ. अम्बेडकर की वर्ष 1956 में मृत्यु हो गई थी। मैं एक बात पूछता हूं, मैंने सदन में एक बार इसकी चर्चा की है कि उनको भारत रत्न वर्ष 1990 में क्यों मिला? वे कौन सी ताकतें थीं, जो एक प्रामाणिक देश रत्न, डॉ. अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिलने दे रही थीं, dying in the year 1956 and getting the Bharat Ratna in the year 1990. माननीय रामविलास जी अभी वी.पी. सिंह जी की सरकार की चर्चा कर रहे थे, वी.पी. सिंह की सरकार के पीछे बीजेपी भी खड़ी थी और वामपंथी, आपको याद है या नहीं, आप भी खड़े थे।

(3N/DN-पर-जारी)

GSP-DN/4.55/3N

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत): उस सरकार ने फैसला किया कि अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया जाएगा। आपने नहीं किया था, इस बात को आप नोट करिए। यह मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर रहा हूं। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत को जोड़ने वाले, भारत को बनाने वाले सरदार पटेल 1950 में मरे थे, उनको भी भारत रत्न नहीं मिला। उनकी मृत्यु के 41 साल बाद 1991 में उनको भारत रत्न मिला। वर्ष 1991 में भारत के प्रधान मंत्री कौन थे? आपके प्रदेश के श्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। अब आप नरसिम्हा राव जी को कितना याद करते हैं, यह बात छोड़ दीजिए। अगर बात निकलेगी, तो बहुत दूर तक जाएगी कि उनके शव को कांग्रेस के दफ्तर में भी नहीं घुसने नहीं दिया गया था। ...(व्यवधान)... उसकी आप चर्चा मत करिए। सर, मैं आप पूरी विनम्रता के साथ कहूंगा कि अगर श्री पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधान मंत्री नहीं होते और कोई परिवार से होता, तो यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को करना पड़ता। यह सच्चाई है। ...(व्यवधान)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: *

KUMARI SELJA: *

CHAIRMAN: Please. It will not go on record. ...(Interruptions)... He has not taken anybody's name. Don't worry. ...(Interruptions)...

---

*Not recorded.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, बताइए ये इतने परेशान हो गए! एक महान राष्ट्र भक्त देश के नेता मौलाना आज़ाद, महान स्वतंत्रता सेनानी 1959 में मरे थे। उनको भारत रत्न कब मिला? उनको 1992 में भारत रत्न मिला। यह आज का occasion है कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को याद किया जाए और आने वाली पीढ़ी को बताया जाए कि देश को बनाने में हर किसी का हाथ रहा है और सब को सम्मान मिलना चाहिए, जिसका हमारी सरकार ध्यान रखती है और यह आगे भी होना चाहिए। इसको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हमें सीख दी जा रही है। सर, गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, वे बड़े अनुभवी हैं। उनका स्नेह मुझे मिलता है। आप बहुत स्नेह देते हैं और मैं भी आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन आज आपने अक़्लियत की empowerment की बात उठा दी, आपने अच्छा किया और होना भी चाहिए।

~~THE LEADER OF THE OPPOSITION~~ (SHRI GHULAM NABI AZAD): Political empowerment.

श्री रवि शंकर प्रसाद : हमें यह देखना पड़ेगा कि अक़्लियत का, empowerment का political या non-political से क्या समझते हैं। शाह बानो के आंसू पोछने का वक्त आया, तो उसके आंसू पोछने में किसने हाथ लगाया?...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : यहां शाह बानो का क्या ताल्लुक है? ...(व्यवधान)...

[جناب غلام نبی آزاد : یہاں شاہ بانو کا کیا تعلق ہے؟ --(مداخلت)--] †

MR. CHAIRMAN: Ghulam Nabi ji, you are the Leader of the Opposition. This is not fair. ...(Interruptions)... This is not fair. You are ready to make

† [Transliteration in Urdu Script.]

criticism and you do not want to take any criticism. ...(Interruptions)... ऐसे कैसे चलता है। ...(Interruptions)... Let me complete. ...(Interruptions)... No, no. This is not the way. ...(Interruptions)... This is not the way. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैंने कुछ नहीं कहा। ...(व्यवधान)... मैंने कुछ नहीं कहा...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: It is showing that you are impatient. ...(Interruptions)... I do not want anybody to be in patient or impatient in the House. ...(Interruptions)...

SHRI P. BHATTACHARYA:*

श्री सभापति : भट्टाचार्य जी, आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)... प्लीज़ आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)... It is not going on record. ...(Interruptions)... It is not going on record. Unnecessarily, you are speaking. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैं बड़ी विनम्रता से रिकॉर्ड स्ट्रेट कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...जब हमारे अक़ल्लियत समाज की खवातीनों को तीन तलाक के खिलाफ समाप्त करने की बात आई, तो वे कहां खड़े थे, यह भी देश देखता है।

---

*Not recorded.

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आपने लड़ाई लगाने के लिए किया था।

[**جناب غلام نبی آزاد** : آپ نے لڑائی لگانے کے لیے کیا تھا۔]†

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, आप सुनिए कि लड़ाई लगाने के लिए किया था। खवातीनें तीन तलाक से परेशान हैं। ...(व्यवधान)... यह सोच है, ...(व्यवधान)... तो मुझे कुछ नहीं कहना है।...(व्यवधान)... सर, जो empowerment की बात है, ...(व्यवधान)...

SHRI P. BHATTACHARYA: *

श्री सभापति : आपकी एनर्जी बेकार जा रही है।...(व्यवधान)... आपको मौका दिया था।...(व्यवधान)... आप सहन करिए।...(व्यवधान)...

SHRI AHAMED HASSAN: *

SHRI PRADEEP TAMTA: *

श्री सभापति : आपको मौका दिया था। ...(व्यवधान)... आप सहन करिए।...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, जहां तक empowerment की बात है...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: He is capable. ...(Interruptions)... The Minister is on his legs. ...(Interruptions)... Nothing else will go on record. ...(Interruptions)...

SHRI AHAMED HASSAN: *

---

*Not recorded.

† [Transliteration in Urdu Script]

MR. CHAIRMAN: I will have to name you. You are doing too much. This is not the way. ...(Interruptions)... What is this?

SHRI B.K. HARIPRASAD:*

MR. CHAIRMAN: This is not going on record. ...(Interruptions)... आप चिंता मत करिए।...(व्यवधान)... उनकी ओर मत देखिए।...(व्यवधान)... सुनिए मत और जो बोला गया है...(व्यवधान)... और जो बोला गया है, अगर उसके बारे में जिक्र करना है, तो करिए।...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, हमारे बहुत ही काबिल दोस्त और Minority Affairs Minister श्री मुख्तार अब्बास नक़वी बैठे हुए हैं। चाहे Hunar Haat या वज़ीफे का सवाल हो या उनकी स्किलिंग का सवाल हो, इस देश की अक़ल्लियत, जमात के नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए जो काम हो रहा है, वह पूरा देश देख रहा है। ...(व्यवधान)... और हमारी ही सरकार है, जिसने हज का कोटा भी बढ़ाया है।...(व्यवधान)... इसलिए कृपा करके हमें empowerment की नसीहत न दी जाए।...(व्यवधान)... यह मैं कहना चाहता हूं। ..(व्यवधान)...

SHRI B.K. HARIPRASAD:*

श्री रवि शंकर प्रसाद : हम जब कहते हैं कि सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, तो सब को साथ लेकर चलते हैं। ..(व्यवधान)...

---

*Not recorded.

KUMARI SELJA:*

MR. CHAIRMAN: Should we continue with this running commentary? ...(Interruptions)... What is this? ...(Interruptions)... You have been in power for 40-plus years and you do not have the patience to hear others. ...(Interruptions)...

(Contd. By YSR/3O)

YSR-SC/5.00/3O

MR. CHAIRMAN (CONTD.): You don't want to hear others. ...(Interruptions)... You don't want to hear others. Let him complete. ...(Interruptions)... When Ghulam Nabi *ji* was speaking, everybody heard him. ...(Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL:*

MR. CHAIRMAN: If you don't want to hear, I leave it to you. ...(Interruptions)... प्लीज़, बोलिए।..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, जहां तक बिल का सवाल है, दस-दस साल की बात बार-बार कही गयी।..(व्यवधान).. इस बात में वज़न है। इसका विचार करना पड़ेगा ..(व्यवधान).. कि दस साल के लिए करें या बीस साल के लिए करें।

---

*Not recorded

श्री सभापति : बैठ जाइए। प्लीज़ बैठ जाइए।..(व्यवधान).. सुनिए, बाकी लोगों का भी सुनिए। ..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : लेकिन सर, जब हम दस साल के बाद आते हैं तो हमें यह समझने का भी अवसर मिलता है कि उनकी स्थिति क्या है।

SHRI KAPIL SIBAL: *

MR. CHAIRMAN: First you take your seats. ...(Interruptions)... You cannot tell me ...(Interruptions)... You cannot tell me ...(Interruptions)... Mr. Kapil Sibal, please take your seat. ...(Interruptions)... If you don't want to take...(Interruptions)... If you want to continue, then continue ...(Interruptions)... Come on. ...(Interruptions)... You go ahead. ...(Interruptions)... We will go for voting. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: *

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मेरा केवल इतना कहना है कि जो बातें उठायी गयीं, वे चिंता की बातें हैं।..(व्यवधान).. जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है - जो उन्हें बारात नहीं निकालने दी गयी - ये challenges हैं, जिन्हें हमें स्वीकारना पड़ेगा और इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ..(व्यवधान)..

SHRI GHULAM NABI AZAD: *

---

*Not recorded

श्री रवि शंकर प्रसाद : लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल बहुत जगह दलित पुजारी भी हो रहे हैं - यह भी बहुत अच्छी बात है।..(व्यवधान)..

SHRI ANAND SHARMA:*

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं कहूंगा कि आज हमारी सरकार Stand-Up India के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में दलित नौजवानों को अवसर दे रही है, उन्हें बैंक से लोन मिल रहा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry है, जिसमें सौ करोड़ के ऊपर की turnover वाले entrepreneurs हैं। वे आते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, मिलिन्द काम्बले सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर, यह काम हो रहा है, लेकिन मैं दो-तीन बातें बहुत साफ कर देना चाहता हूं। ..(व्यवधान)..

SHRI ANAND SHARMA: *
SHRI KAPIL SIBAL: *
SHRI B.K. HARIPRASAD: *

श्री रवि शंकर प्रसाद : ये बार-बार कहते हैं कि मोदी जी की सरकार आरक्षण समाप्त करेगी - मोदी जी की सरकार आरक्षण कभी समाप्त नहीं करेगी, यह हम साफ-साफ कहना चाहते हैं। दूसरी बात, ये बार-बार कहते हैं कि मोदी जी की सरकार संविधान के साथ तोड़-मरोड़ करेगी, यह बिल्कुल गलत है..(व्यवधान)..अच्छा ठीक है, भारत की सरकार..(व्यवधान)..

---

*Not recorded

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, ये आरोप लगाते हैं, मोदी जी की सरकार पर और जवाब देता हूं तो ये इस तरह से कहते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : प्लीज़, बैठ जाइए। ..(व्यवधान).. प्लीज़ बैठ जाइए। Please respect others. ..(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : भारत सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी, यह मैं कहना चाहता हूं।..(व्यवधान).. आनन्द जी, मुझे बोलने दीजिए। ..(व्यवधान).. आनन्द जी, मुझे बोलने दीजिए।..(व्यवधान).. अच्छा हो गया। चलिए। ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: You have more experience. ...(Interruptions)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Please don't shout. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You have more experience. ...(Interruptions)... You have to be more patient. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : तीसरी बात..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आज़ाद जी, प्लीज़।..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : आज पूरा सदन अगर इस आरक्षण का दस साल के लिए सहयोग कर रहा है तो अच्छी बात है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ..(व्यवधान).. सर, मैं एक बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। मैं Anglo-Indians के contribution को acknowledge करता हूं। ..(व्यवधान)..

SHRI ANAND SHARMA:@

श्री सभापति : आनन्द जी, प्लीज़ बैठ जाइए। Is this the way? ...(Interruptions)... Everybody is standing. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : Education में, Armed Forces में उनका एक ..(व्यवधान).. मैं अभिनन्दन करता हूं।

SHRI ANAND SHARMA: @

श्री रवि शंकर प्रसाद :लेकिन सर, जब आप census के 20 करोड़ SCs को acknowledge करते हैं, 10 करोड़ STs को acknowledge करते हैं तो सर, अगर ..(व्यवधान)..

SHRI ANAND SHARMA: @

MR. CHAIRMAN: I will do it. ...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: @

श्री सभापति : प्लीज़, आप बैठ जाइए। You can't ...(Interruptions)... ..(व्यवधान)..

~~THE LEADER OF THE OPPOSITION~~ (SHRI GHULAM NABI AZAD): In protest, we are walking out. ...(Interruptions)...

@Not recorded

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

श्री रवि शंकर प्रसाद : SCs के संबंध में census की संख्या पर believe करते हैं, तो आपका Anglo-Indians का अविश्वास करने का क्या मतलब है? ..(व्यवधान)..हमने कहा, इसका हम बाद में विचार कर रहे हैं, लेकिन शायद जैसा स्वपन दासगुप्ता जी ने कहा, यह अवसर है कि हमें नए वर्गों के बारे में भी सोचना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है कि हम नए अवसर के साथ चुनौतियों को स्वीकार करें।

MR. CHAIRMAN: What is this? ...(Interruptions)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: But I would like to convey to this House, Sir, that we acknowledge the contribution of the Anglo-Indian Community. लेकिन जो मैंने पढ़ा, Article 336 and Article 337 - जिसमें ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : प्लीज़, शांति बनाए रखें। We are discussing a very important issue. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : जिसमें कस्टम, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ में उनकी संख्या जो 1947 में थी,..(व्यवधान).. एक मिनट।..(व्यवधान).. उसको कहा गया..(व्यवधान)..

श्री सभापति : प्लीज़, शांति रखें। The Minister is speaking. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : दस साल में समाप्त हो जाएगा। सर, उस तरफ के लोग चले गए हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं कि दस साल बाद - उनकी सरकार थी, उसे extend कर देते, Anglo-Indian Institution को जो educational grant मिल रही थी, अंग्रेज़

सरकार के द्वारा, कहा गया कि वह भी मिलेगा, लेकिन दस साल के बाद समाप्त हो जाएगा।

(3पी-पीआरबी-पर जारी)

YSR/BHS-PRB/3P/5.05

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : उनकी सरकार थी, वे चलाते। सर, जो उनको काम करना था, क्यों उन्होंने पाया कि नए भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यह संविधान की सोच चलती रहती है। But I would like to convey to Shri Derek O'Brien -- kindly listen to me -- I would like to acknowledge the contribution of Anglo-Indian community in the field of education, in the field of Armed Forces and others. They have done a good job but their contribution would neither be minimized, nor be recognized only and only by representation. What is important is, I totally agree with him, they say they are Anglo-Indian, their contribution is recognizable. हम उनका विचार कर रहे हैं। सर, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम अभी एसटी, एससी के आरक्षण के विस्तार का यह विषय लेकर आए हैं। मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा कि यह पूरा सदन, उसको पारित करे, ताकि हमारा जो commitment है.. मैं सक्षेप में एक बात और अवश्य कहना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने..

MR. CHAIRMAN: I appeal to all the Members, because this is an important Constitution Bill, please cooperate and see to it that the Bill is passed with

the required majority. Otherwise, we would be sending a wrong signal to the entire country.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, हमने 21 करोड़ का मुद्रा लोन दिया है, इसके 55 per cent beneficiary SCs, STs और OBCs हैं। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ LPG connection दिए, इसके 50 per cent beneficiary SC/ST हैं। पीएम आवास योजना में लगभग 90 लाख में से लगभग 25 लाख SC beneficiaries हैं और 22 लाख ST beneficiaries हैं। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह clarify करना बहुत जरूरी है कि जहां तक creamy layer का सवाल है, creamy layer के मामले में बार-बार यह कहा गया है, तो मैं भारत सरकार का stand स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार SC/ST में creamy layer के पक्ष में नहीं है। SC/ST एक community है, वह जिस deprivation में पैदा होती है, तो उस deprivation में empowerment जरूरी है, इसलिए हमने Attorney-General के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक-दो फैसले हैं, उनको आप कृपा करके बड़े Bench के सामने refer कर दें, seven Judge Bench के सामने, तो वह pending है।

सर, मुझे आज एक बात की पीड़ा जरूर है, हम लोकतंत्र में हैं, संसद में हैं, बहस भी हो जाती है, लेकिन बहस होने के बाद, इसका यह मतलब नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सदन में नहीं रहें। हम सब बड़े वरिष्ठ हैं, नोक-झोंक होती रहती है। उन्होंने अपने तरीके से एक बात कही, तो मुझे भी विनम्रता से, अपने तरीके से, उसका उत्तर देने का अधिकार है, तो वही तो मैं कर रहा था। मैं यही आग्रह करूंगा

कि इसको सर्वानुमति से पारित किया जाए। मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह एक राष्ट्रीय विषय है, यह एक राष्ट्रीय बिल है और यह हम सभी का Scheduled Castes और Scheduled Tribes के प्रति एक संवैधानिक दायित्व है कि हम इस 10 साल की सीमा जो आने वाली 25 जनवरी को समाप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाएं, मैं यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा और सदन उस पर वोट करे।

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री;) (; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) : सर, अभी सदन में जो स्थिति आई, इसके बारे में वहां भी कुछ चर्चा चल रही है, तो मुझे लगता है कि वोटिंग से पहले 10 मिनट यह कर सकते हैं और फिर...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः सर, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा और जो आपने कहा उसे सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आप creamy layer के खिलाफ हैं और इसको आप Attorney-General के माध्यम से रख रहे हैं। लेकिन मैं खाली यह clarification जानना चाहता हूं, जो SC/ST Reservation in Promotion का Bill है, जो कि pending है और यहां से पास हो गया था और फिर वहां चला गया था, उसको लाने पर क्या आप कोई विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपकी जानकारी के लिए, जहां तक मुझे बताया गया है कि यह creamy layer का विषय, Reservation in Promotion में भी लगा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बाताना चाहता हूं और आप तो स्वयं बहुत बड़े वकील हैं,

Article 16 (4B) में already carry forward vacancies के में बारे में लिखा हुआ है। फिर भी आपने जो बात कही है, उसको मैं देखूंगा। सर, मैं एक विषय और clarify कर दूं। अनुभवी नेता आदरणीय राम चन्द्र बाबू ने All India Judicial Service के बारे में बात कही थी। सर, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि हम All India Judicial Service निश्चित रूप से लाने का प्रयास करेंगे और हमारा consultation चल रहा है। हम उसकी scheme बनाएंगे और वे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसे राज्य सभा में ही लाना पड़ेगा। हमारी सोच क्या है, वह मैं बहुत संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। आज IAS है, आज IPS है, आज Indian Revenue Service है, Indian Postal Service है, स्वयं राम चन्द्र बाबू IAS के एक बड़े ही विद्वान मेम्बर रहे हैं, तो हमारा खाली यह कहना है कि एक All India Judicial Service क्यों नहीं हो?

(3Q/RPM पर जारी)

RPM-RL/3Q/5.10

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत): महोदय, आज अच्छे-अच्छे National Law School आए हैं, बाकी लोग आए हैं। हमारी कल्पना यह है कि एक अच्छा All India competitive examination हो और वह सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में हो, but a merit based selection of the good talented people on the post of Additional District Judge. They will become Additional District Judge then become District Judges वहां से वे High Court जाएंगे। मेरी अपेक्षा यह है कि मैं उसमें SC/ST को reservation देने का पक्षधर हूं, जिस प्रकार से बाकी सेवाओं में reservation मिलता है,

ताकि एक अच्छा talented pool बनकर निकलेगा, जो higher judiciary में जाएगा। यह हमारी बहुत ही प्रामाणिक अपेक्षा है।

महोदय, जहां तक बाकी judiciary का सवाल है, आपने कुछ बातें उठाई थीं। मैं स्वयं पिछले कई वर्षों से कानून मंत्री हूं। मैं भारत के सारे High Courts के Chief Justices को लिखता हूं कि जब आप नियुक्ति के लिए recommendations collegiums में करते हैं, तो इस बात की चिन्ता करें कि उसमें महिला, minorities, backwards और SC/ST के लोगों के नाम भी भेजें। मैं इस बारे में चार चिट्ठियां लिख चुका हूं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः माननीय सभापति जी, ...

श्री सभापतिः मिश्रा जी, कृपया बैठिए। सबको मौका मिल रहा है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः सर, यह ज्यूडिशियरी का विषय है।

श्री सभापतिः मैं आपको भी मौका दूंगा। आपको एक बार मौका मिल चुका है, यही बहुत है। मैं आपको एक बार और मौका दूंगा।

श्री रवि शंकर प्रसादः महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आप पहले सब लोगों को सुन लीजिए, फिर इकट्ठा जवाब दे दीजिए।

श्री शमशेर सिंह दुलो : सर, माननीय Leader of the House ने कहा है कि SC/ST के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, प्लान बजट में रखा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 75,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, वह Particular Scheduled Caste welfare के लिए रखा जाना चाहिए, लेकिन जब से

component plan बना है, sub-plan बने हैं, उनसे उनका भला नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि उनके लिए State-wise अलग प्लान बने और उनके लिए separate fund allocate हो, इस बारे में मंत्री जी clarify करें।

श्री रवि शंकर प्रसादः सर, मैं इसके details लेकर माननीय सदस्य को भेज दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात मुझ से कही थी, मैं बार-बार collegiums के institution का सम्मान करते हुए, मैं हमेशा अपनी तरफ से insist करता हूं कि हमें वंचित वर्ग के लोगों को भी High Courts और Supreme Court में जाने देना चाहिए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज Supreme Court में एक बहुत ही योग्य और ऐसे समाज के व्यक्ति जज बने हैं, जो आगे जाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे। यह हमारी कोशिश है और यह चलती रहनी चाहिए। यह बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम सभी मिलकर काम करें, SC/ST का सम्मान करने की बात करें और मॉडर्न तरीके अपना कर तरक्की करते जाएं। मैं आज बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं IT विभाग भी देखता हूं, देश में लगभग 25,000 Start-ups हैं और इस movement से बड़ी संख्या में नए-नए नौजवान आ रहे हैं। अब वे आ रहे हैं, तो उसमें SC के लोग भी आ रहे हैं। जो Stand Up India कार्यक्रम है, उसमें उन्हें भी बैंकों से लोन मिल रहा है और हमारे प्रधान मंत्री जी का इस बात पर जोर है कि ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में लोन मिलना चाहिए।

महोदय, हमने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कही। मैंने आपको बताया और मुझे इस सदन में उनका नाम लेने की इच्छा हो रही है-वे पद्मश्री हैं-मिलिंद काम्बले। वे

पहले Junior Engineer थे, वे स्वयं funding किया करते थे, लेकिन सरकार से उन्होंने कहा कि मैं खुद भी Entrepreneur बनूंगा और वे construction sector में बड़े Entrepreneur बने। उन्होंने कहा कि Dalit Indian Chamber of Commerce (DICCI) में सिर्फ 100 करोड़ रुपए के ऊपर के turnover के लोगों को ही Member बनाएंगे। आज उन्हें बड़ी-बड़ी कंपनियां उन्हें अपना material देती हैं, उन्हें preferential market देती हैं। देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समाज के बदलते हुए स्वरूप का यह एक बहुत बड़ा लक्षण है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। चूंकि आज मुझे अवसर मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आज इन उपलब्धियों को मैं शेयर कर दूं। हम सब लोग मिलकर इसे आगे बढ़ाएं, हमारी यही अपेक्षा है।

MR. CHAIRMAN: Rangarajan*ji*, what is your clarification?

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, through you, I request the Minister that there are a lot of backlogs in the filling of the vacancies of the *Dalits*, especially, in Government service, Professors in colleges. I request you to consider and see to it that there are Judgments also but it is not implemented. It is the Government's responsibility to see to it that it is implemented.

MR. CHAIRMAN: Shri Vaiko, what is your clarification?

SHRI VAIKO: Mr. Chairman, Sir, may I know from the hon. Minister whether he will consider the emotional appeal of the Shri Derek O'Brien to again give the same privilege of two Nominated MPs, Anglo Indians...

MR. CHAIRMAN: Shri Vaiko, you have already said it.

SHRI VAIKO: And, 13 MLAs for different States.

MR. CHAIRMAN: Shri Vaiko, you have already said it. Satish*ji*, what is it?

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Hon. Law Minister just said that there is one person belonging to Scheduled Caste now appointed in the Supreme Court. There was none. High Courts, Allahabad High Court and other courts, अगर देख लें, तो पूरे देश में एक दर्जन से भी ज्यादा नहीं मिलेंगे।

(3आर/एलपी पर जारी)

LP-DC/5.15/3R

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (क्रमागत): ऐसी स्थिति में क्या माननीय Law Minister साहब कोई method निकालेंगे? आप एक एक्ट लाए थे, जो struck down हो गया था। आपने उसमें provision दिया था and you were the architect of that. We were with you. अगर वह struck down भी हो गया है, तो भी कोई ऐसा method निकालें कि कम से कम High Courts, Supreme Court में इनका कुछ तो representation बने।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: If I go towards voting, you all know that this is a Constitution Amendment and the Constitution Amendment requires 50 per cent and not less than two-thirds of majority. If you do not come, then the

Constitution (Amendment) Bill will get defeated. That will send a very, very wrong message to the country. That is why I appeal...(interruptions)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir,...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: We are taking care of everything because of the importance of the Bill. Otherwise, it is okay. I appeal to all the Members who are inside or outside, to the leaders of the parties and the Members, to please come and take part in the voting--I cannot say that you support this Bill, being in the Chair--and see to it that the House takes up this issue as per the expectation of the people. That is my only appeal to all. If anything unparliamentary has been said from any side, that will be taken care of and it will be removed from the records. That much I can assure you. I appeal to leaders of the parties also, please see to it that their Members are there in the House and be parties, partners to this historic Amendment of the Constitution for the welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other people. So I appeal to all, please join the voting and then exercise your rights. As I have told, if there is anything unparliamentary, that will be definitely taken care of. Mr. Minister, do you want to respond to these queries? Do you want to respond to the clarifications?

नेता सदन (श्री थावर चन्द गहलोत): सभापति महोदय, आपने जो बोला है, मैं स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूं। मैं भी यही कहने वाला था और अपील करने वाला था कि यह संविधान संशोधन विधेयक है। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का दो तिहाई, जो कुल संख्या का आधे से अधिक हो, का इसमें प्रावधान है, इसलिए सभी को वोटिंग करनी चाहिए, सभी की इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो यह संदेश जाएगा कि वे इसके विरोध में हैं, जो कि ठीक संदेश नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Right. I shall now put the motion for consideration of the Bill to vote. The question is...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the LoP...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I have not seen him. If he rises, he will definitely get the first chance.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, there is no question of any disrespect to the Chair because this Chair has been occupied by most illustrious sons and daughters of India, and this House also is the House of Elders representing the States, and most eminent leaders have been sent to this House from both the sides. But we get hurt sometimes. Sir, there has to be mutual respect. Love begets love; respect begets respect. I wish to make a submission on behalf of the Opposition; this would not be an opinion on my behalf alone. While we fully

go by the direction of the Chair, while we fully respect the hon. Chair, at the same time, we also expect some respect from the Chair. We are all senior people, who have spent 45-50 years, served as Chief Ministers and Union Ministers for decades together. Sometimes, we also don't want to be treated as students. And my submission to the Government would be, we were here for 43 years, but we were humble. We were down-to-earth and we created institutions. My submission to the Government and also to the Ministers would be, the Opposition has the power that they can only speak, and you have the power to ignore. So you cannot compete with the Opposition कि उसने दस गाली दी, मैं बीस गाली दूंगा। आपको सुनने की क्षमता चाहिए और सरकार को 90 परसेंट ignore करना चाहिए।

(RSS/3S पर आगे)

RSS-AKG/3S/5.20

SHRI GHULAM NABI AZAD (CONTD.): Had this not been a Bill for the welfare of the SCs and STs, we would not have come back. Let me tell you this thing.

MR. CHAIRMAN: Thank you LoP. The same thing, I was telling. Galaxy of leaders are here with enough experience. I was only talking about that experience, and asking people to see that the decency and decorum is

maintained. There is no question of any ill-will against anybody. Even the Government also should take note of it, and both, the Opposition and the Government, should play their role in a responsible way, mutually respecting each other, and seeing to it that the House functions. I am thankful.

I shall now put the motion to vote.

The question is:

> That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Division.Let the lobbies be cleared. It has to be gone through like that only.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is some problem.

MR. CHAIRMAN: No, it will be through slips also. पहले मशीन से वोटिंग करवाएँगे। कल इसमें थोड़ी सी problem आई थी, बाद में उसको correct करना पड़ा। That also will be followed. Let the lobbies be cleared.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have a point of order.

श्री सभापति : वोटिंग के बीच में मत कीजिए। Raising a hand is not the parliamentary system. This is a Constitution Amendment.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, after voting, I want to say something.

MR. CHAIRMAN: There cannot be any pre-condition. We are going to sit after the vote also. We are going to take up another Bill also. We are also going to take up the Bill in which you are interested.

SHRI JAIRAM RAMESH: I won't take much time.

MR. CHAIRMAN: You need not speak. The Leader of the Opposition has spoken. That is the end of it. That sentiment has been taken note by all concerned, including the Chair and Members also.

(Contd. by KGG/3T)

KGG-SCH/3T/5.25

MR. CHAIRMAN (Contd.): The question is:

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

<u>The House divided.</u>

(Followed by SSS/3U)

SSS-PSV/3U/5.30

MR. CHAIRMAN: Subject to correction:

Ayes: 163

Noes: Nil

(Here enter the Division Lists for Ayes and Noes arranged in alphabetical order)

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Clause 2 to vote. The question is:-

That Clause 2 stand part of the Bill.

<u>**The House divided.**</u>

MR. CHAIRMAN: Subject to correction:

Ayes: 163

Noes: Nil

(Here enter the Division Lists for Ayes and Noes arranged in alphabetical order)

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Clause 1, the Enacting Formula and the Title to vote. The question is:-

That Clause 1, the Enacting formula and the Title stand part of the Bill.

<u>**The House divided.**</u>

(Followed by NBR/3W)

SSS/NBR-VNK/3W/5:35

Ayes: 163
Noes: Nil

(Here enter the Division Lists for Ayes and Noes arranged in alphabetical order)

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, the Enacting Formula and Title were added to the Bill

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Subject to correction:

Ayes: 163
Noes: Nil

(Here enter the Division Lists for Ayes and Noes arranged in alphabetical order)

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

(Ends)
(FOLLOWED BY USY/3X)

USY-RK/3X/5.40

MR. CHAIRMAN: Open the lobbies. Hon. Members, though the Bill is passed, as the Chairman, I must put it on record for the sake of the record, for the sake of the country, I am disappointed that more than eighty Members are not present in the House. It is not the question of this party or that party. That is not the issue. What message do we want to send by doing this?

Now, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019. Shrimati Renuka Singh Saruta to move the Motion for consideration of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019. ...(Interruptions)...

अगर किसी को बाहर जाना है, तो शांति से जाएं।...(व्यवधान)... मंत्री जी, आप बोलिए।

Pp 242 onwards will be issued as supplement.